घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 294- बुधवार 26- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

यूपीआई के 10 साल पूरे,पीएम मोदी बोले- इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए

नई दिल्ली,25 अगस्त 2026। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के मंगलवार को 10 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की इस डिजिटल भुगतान क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई की शुरुआत भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास में अब तक का सबसे निर्णायक क्षण साबित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने यूपीआई के व्यापक पैमाने और पहुंच पर गर्व करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने की अपील की। उन्होंने लोगों से यह बताने को कहा कि यूपीआई के आने से उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आया है और डिजिटल भुगतान ने रोजमर्रा के लेनदेन को कितना आसान बनाया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यूपीआई पर वार्षिक लेनदेन की संख्या बीते एक दशक में करीब 13,000 गुना बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेनदेन हुए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में यह संख्या 1.78 करोड़ थी।

स्कूल में हिजाब पर हाईकोर्ट का फैसला यूनिफॉर्म नियम मानना जरूरी

नई दिल्ली,25 अगस्त 2026। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा की हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होता है और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर यूनिफॉर्म में बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रयागराज के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। मामला उस समय सामने आया जब छात्रा ने हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से 10 तक स्कार्फ पहनकर स्कूल जाती रही थी और उस दौरान स्कूल की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। अपने पक्ष में छात्रा ने पुराने पहचान पत्र और स्कूल की ग्रुप फोटो भी अदालत के सामने रखी।

बिहार में सरकारी भर्तियों की मांग को लेकर पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन...बैरिकेडिंग तोड़ी,वाटर कैनन से रोका मार्च

पटना,25 अगस्त 2026। बिहार में सरकारी भर्तियों को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को उग्र हो गया। पटना के गर्दनीबाग में 18 अगस्त से धरने पर बैठे छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकाला। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन (एबीएसयू) के छात्र नेता अमन गुट के नेतृत्व में निकले इस मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने जेपी गोलंबर पर भारी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की तैनाती की थी। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने जेपी गोलंबर पर लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और डाकबंगला की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई। गांधी मैदान से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत की सूचना है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गर्दनीबाग में पिछले कई दिनों से धरना दे रहे छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को छात्रों ने धरना स्थल से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च शुरू किया। प्रशासन ने पहले ही जेपी गोलंबर सहित प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। छात्र जैसे ही जेपी गोलंबर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने में जुटी रहीं। प्रदर्शन के कारण पटना के कई प्रमुख मार्गों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और यातायात भी प्रभावित होने की सूचना है। आंदोलन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांग बीपीएससी टीआरई-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट करना है। छात्रों की मांग है कि टीआरई-4 में एक ही परीक्षा के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) और मुख्य परीक्षा (मेंस) की प्रक्रिया पूरी की जाए। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि अभ्यर्थियों को बार-बार अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल नहीं होना पड़े। उनका तर्क है कि इससे भर्ती प्रक्रिया लंबी होने के साथ अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक दबाव भी पड़ता है। इसके साथ ही छात्र टीआरई-4 भर्ती प्रक्रिया में नेगेटिव मार्किंग खत्म करने और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की एक प्रमुख मांग बिहार की सरकारी नौकरियों में 100 प्रतिशत डोमिसाइल नीति लागू करने की भी है। छात्रों का कहना है कि राज्य की सरकारी नौकरियों में बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छात्रों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) से संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में भी बदलाव की मांग उठाई है। इनमें संविदा कर्मचारियों को मिलने वाला वेटेज समाप्त करने की मांग शामिल है।

अब ज्यादा काम नहीं कर सकता,जब कर सकता था,तब किया,नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए : गडकरी

नागपुर,25 अगस्त 2026। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वे पहले जितना काम नहीं कर पा रहे हैं और अब जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंप दी जानी चाहिए। नए लोग आए हैं और पुराने लोग उन्हें गाइड कर रहे हैं। नागपुर के 'एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक-पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग' के कार्यक्रम में गडकरी ने कहा- मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता। जब कर सकता था, तब किया। अब मेरा काम में दखल कम हो गया है। गडकरी ने युवाओं को सलाह देते हुए कहा कि अब मैं रोज सुबह उठकर ढाई घंटे एक्सरसाइज और प्राणायाम करता हूं। मेरा ट्रेनर मुझसे वर्कआउट करवाता है। आप सभी को भी रोज कम से कम आधा घंटा व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए। गडकरी ने अपने राजनीतिक सफर के शुरुआती दिनों का किस्सा सुनाया।

उन्होंने कहा कि मेरा जीवन पहले बहुत अनियमित था। हम भावुक होकर साइकिल और स्कूटर से पार्टी के काम के लिए निकल पड़ते थे। उस समय हमारी पहचान के एक व्यक्ति के पास एम्बेसडर कार थी।

रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला : भारतीय कंपनियां करेंगी पारंपरिक मिसाइलों का उत्पादन,राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी

नई दिल्ली,25 अगस्त 2026। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इससे देश में इन मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी उत्पादन किया जा सकेगा। मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और देश के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में घरेलू उद्योगों की भागीदारी बढ़ाना है। तकनीक हस्तांतरण के बाद पात्र भारतीय कंपनियां पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की डीआरडीओ-विकसित तकनीकों का देश में उत्पादन कर सकेंगी। इसके लिए संबंधित योग्यताओं,प्रमाणन और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने और रक्षा विनिर्माण में भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को और मजबूती मिलेगी। यह पहल मिसाइल प्रणालियों के विकास से औद्योगिक स्तर पर उत्पादन की ओर सफलतापूर्वक बदलाव को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेश की 67 लाख से अधिक महतारियों के खातों में पहुंची महतारी वंदन योजना की 31 वीं किस्त

बहनों की आत्मनिर्भरता और चेहरे की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी खुशी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर,25 अगस्त 2026। भाई-बहन के अटूट स्नेह के पावन पर्व रक्षाबंधन से पहले बालोद जिले के डौंडीलोहारा में एक आत्मीय और भावपूर्ण दृश्य देखने को मिला। प्रदेश की लाखों बहनों के 'विष्णु भैया' मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन सम्मान समारोह में प्रदेश की 67 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त के रूप में 631 करोड़ 38 लाख से अधिक की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि हमारी माताओं-बहनों के चेहरे पर मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डौंडीलोहारा के लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री साय का माताओं-बहनों ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बहनों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया,उनका हालचाल जाना और महतारी वंदन योजना से उनके जीवन में आए बदलावों के अनुभव सुने। इस अवसर पर बालोद जिले के 2 लाख 45 हजार 28 हितग्राहियों सहित प्रदेश के 67 लाख 28 हजार 918 हितग्राहियों के खातों में कुल 631 करोड़ 38 लाख 37 हजार 700 की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सावन के पवित्र महीने और रक्षाबंधन के ठीक पहले मातृशक्ति के सम्मान के इस कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सितंबर माह की किस्त भी 25 अगस्त को ही बहनों के खातों में पहुंचाने का निर्णय लिया, ताकि त्योहार की खुशियां और बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना केवल प्रतिमाह मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि इसने महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का नया भाव पैदा किया है। अब हमारी माताओं-बहनों को अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे इस राशि का उपयोग अपने स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की शिक्षा, बचत और छोटे व्यवसाय जैसी जरूरतों में कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की माताओं-बहनों के खातों में लगभग 20 हजार करोड़ की राशि अंतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जो गारंटी दी थी, राज्य सरकार उसे पूरी प्रतिबद्धता से धरातल पर उतार रही है। समारोह का सबसे आत्मीय अवसर तब आया, जब मुख्यमंत्री साय ने महतारी वंदन योजना की पांच हितग्राही महिलाओं से सीधे संवाद किया। महिलाओं ने बताया कि योजना से मिलने वाली नियमित राशि ने उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ उन्हें आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास भी दिया है।

सितंबर में राशन लेने से पहले जान लें ये बड़ा बदलाव,एक साथ मिलेगा 2 महीने का चावल

रायपुर,25 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सितंबर 2026 में कार्डधारकों को एक साथ सितंबर और अक्टूबर महीने का पीडीएस चावल दिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। हालांकि, APL कार्डधारक इस व्यवस्था में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने PDS दुकानदारों को मिलने वाली मार्जिन राशि भी बढ़ा दी है। ज्योग्राफिकमैप्स और जीपीएस गाइड एक्सप्लोर करना

सितंबर में एक साथ मिलेगा दो महीने का चावल : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अवर सचिव भूपेंद्र सिंह राजपूत की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सितंबर महीने में एपीएल कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के राशन कार्डधारकों को सितंबर और अक्टूबर का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। यानी पात्र हितग्राहियों को सितंबर में दो महीने का पीडीएस चावल एक साथ मिलेगा। इसके लिए राशन दुकानों में पहले से ही दोनों महीनों के हिसाब से चावल का भंडारण कराया जाएगा।

राशन दुकानों में चस्पा होगी जानकारी : विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। महीने की शुरुआत से पहले सभी जिलों की उचित मूल्य दुकानों में दो महीने के चावल का भंडारण कराने को कहा गया है। इसके साथ ही राशन दुकानों में इस संबंध में सूचना भी चस्पा की जाएगी, ताकि हितग्राहियों को पहले से पता रहे कि सितंबर में उन्हें दो महीने का चावल एक साथ मिलेगा।

PDS दुकानदारों का कमीशन बढ़ा : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत PDS चावल की बिक्री पर दुकानदारों को मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की है। अब प्रति क्विंटल चावल की बिक्री पर दुकानदारों को 100 रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि 90 रुपये प्रति क्विंटल थी। यानी कमीशन में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा ई-पॉस मशीन के माध्यम से चावल की बिक्री पर मिलने वाली अतिरिक्त मार्जिन राशि भी बढ़ाई गई है। पहले दुकानदारों को 10 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मिलता था, जिसे बढ़ाकर 11 रुपये कर दिया गया है।

संपादकीय

संत की वाणी में संयम जरूरी

अयोध्या के महंत राजू दास और कुंवर सिंह निषाद के बीच विवाद ने फिर खड़ा किया सवाल–धार्मिक पद गरिमा देता है, अपशब्द बोलने का अधिकार नहीं

अयोध्या केवल एक शहर नहीं,करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हनुमानगढ़ी जैसे धार्मिक स्थल से जुड़े संत-महंतों से समाज सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक संयम, मर्यादा और विनम्रता की अपेक्षा करता है। ऐसे में यदि किसी धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा सार्वजनिक मंच पर मर्यादा की सीमा लांघती दिखाई दे,तो सवाल केवल उसके व्यक्तिगत आचरण का नहीं, उस पद की गरिमा का भी बन जाता है। महंत राजू दास और निषाद समाज के नेता कुंवर सिंह निषाद के बीच एक टीवी बहस के दौरान हुई तीखी नोकझोंक इसी वजह से चर्चा में है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बहस के दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और राजू दास की ओर से कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा तथा मारने की धमकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यदि सार्वजनिक रूप से प्रसारित सामग्री में दिखाई गई बातें सही हैं तो निश्चित रूप से ऐसी भाषा किसी भी सभ्य संवाद का हिस्सा नहीं हो सकती।

लेकिन इस मामले को केवल जातीय या राजनीतिक चश्मे से देखना भी उचित नहीं होगा। बहस में किसी भी पक्ष की ओर से व्यक्तिगत टिप्पणी या उकसावे की भाषा हो तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। एक व्यक्ति की कथित अभद्रता दूसरे व्यक्ति के लिए अभद्र होने का लाइसेंस नहीं बन सकती। सार्वजनिक जीवन में मर्यादा दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है।

मूल सवाल इससे भी बड़ा है–क्या धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति से संयम की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए?

संत और महंत समाज के लिए केवल धार्मिक कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति नहीं होते। लोग उनके शब्दों में धर्म की सीख और उनके व्यवहार में संस्कार तलाशते हैं। भगवा वस्त्र,मंदिर की जिम्मेदारी और धार्मिक पहचान किसी को कानून या सामाजिक मर्यादा से ऊपर नहीं करती। बल्कि ऐसी पहचान जिम्मेदारी और बढ़ा देती है।

धर्म की शक्ति आवाज ऊंची करने में नहीं,आचरण ऊंचा करने में है। राम की परंपरा मर्यादा की बात करती है और हनुमान भक्ति,विनम्रता तथा समर्पण के प्रतीक हैं। ऐसे में धार्मिक मंच से जुड़े व्यक्ति की भाषा में संयम अपेक्षित होना स्वाभाविक है।

इस विवाद की पृष्ठभूमि में मछली भोज को लेकर उठा राजनीतिक विवाद भी है। भारत विविधताओं का देश है। अलग-अलग समुदायों की भोजन परंपराएं अलग हैं। किसी के लिए मछली सामान्य भोजन हो सकती है और किसी दूसरे के लिए धार्मिक कारणों से अस्वीकार्य। लोकतंत्र में किसी की भोजन परंपरा से असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति को अपमान और धमकी में बदल देना किसी भी पक्ष के लिए उचित नहीं।

निषाद समाज की नाराजगी को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए। किसी समुदाय के प्रतिनिधि को सार्वजनिक मंच पर अपमानित महसूस होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के कथित आचरण के आधार पर पूरे साधु-संत समाज या किसी धार्मिक परंपरा को कटघरे में खड़ा करना भी उचित नहीं होगा। जवाबदेही व्यक्ति की होनी चाहिए, सामूहिक आरोपों की नहीं।

इस मामले में सबसे जरूरी है कि पूरे विवाद का निष्पक्ष आकलन हो। मूल वीडियो और संदर्भ सामने आएं,दोनों पक्ष अपनी बात रखें और यदि वास्तव में अपमानजनक भाषा या धमकी दी गई है तो संबंधित संस्था तथा कानून अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करे। धार्मिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा भी इसी में है कि वे अपने पदाधिकारियों के आचरण के मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी रहें।

आज जरूरत किसी को 'सांप' या 'नरपिशाच' कहने की नहीं,बल्कि यह तय करने की है कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की सीमा सबके लिए समान होगी या नहीं।

राजनेता हों,संत हों, पत्रकार हों या सामाजिक कार्यकर्ता–असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है,लेकिन गाली और धमकी लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा नहीं हो सकती।

अयोध्या की पहचान विवाद और कटुता से नहीं,बल्कि राम की मर्यादा से है। इसलिए इस पूरे प्रकरण से एक ही संदेश निकलना चाहिए–धर्म का वस्त्र पहनना आसान है, लेकिन धर्म की मर्यादा को अपने आचरण में उतारना ही असली संतत्व है।

आस्था बड़ी है,व्यक्ति छोटा।
धर्म बड़ा है,अहंकार छोटा।
और संवाद हमेशा अपमान से बड़ा होना चाहिए।

मदर टेरेसा : गरीबों की सांसों में बसने वाली संत

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

प्रतीकात्मक: दैनिक घटती-घटना

मदर टेरेसा का नाम सुनते ही मानवता, करुणा और सेवा का पवित्र स्वरूप आंखों के सामने उभर आता है। उनका जीवन इस तथ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों के दुःख को दूर करने का संकल्प ही मनुष्य को वास्तविक अर्थों में महान बनाता है। 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया के स्कोप्जे में एगनेस गोंझा बोयाज्यू के रूप में जन्मी इस नन्हीं बालिका ने बचपन से ही धर्म और सेवा के प्रति गहरी आस्था प्रकट की थी। जब वे केवल 12 वर्ष की थी, तभी उनके भीतर यह संकल्प जाग उठा था कि उनका जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होगा। यही संकल्प आगे चलकर उन्हें पूरी मानवता के लिए करुणा की मूर्ति बना गया।

18 वर्ष की आयु में उन्होंने 'सिस्टर्स ऑफ लोरेटो' से जुड़कर धार्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाए और 1929 में भारत आईं। कलकत्ता स्थित सेंट मैरी स्कूल में उन्होंने अध्यापिका के रूप में कार्य करना शुरू किया। अध्यापन कार्य के दौरान वे छात्रों को केवल पढ़ाई ही नहीं,अनुशासन और नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाती थी किंतु धीरे-धीरे उनका मन स्कूल की चारदीवारी से बाहर रहने वाले निर्धन,रोगग्रस्त और बेसहारा लोगों की ओर अधिक खिंचने लगा। 1946 में दार्जिलिंग की यात्रा के दौरान उन्हें अपने जीवन का वास्तविक ध्येय मिला। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें शिक्षण कार्य से ऊपर उठकर गरीबों और असहायों की सीधी सेवा करनी चाहिए। यह क्षण उनके जीवन की दिशा बदल देने वाला साबित हुआ।

कलकत्ता की झुग्गियों और गलियों में रहने वाले लोगों की असहनीय पीड़ा को देखकर उन्होंने 1950 में 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था सबसे गरीब, सबसे लाचार और सबसे उपेक्षित लोगों की निःस्वार्थ सेवा करना। संस्था का ध्येय वाक्य ही था, 'सबसे गरीबों में भी सबसे गरीब की सेवा।' मदर टेरेसा ने सेवा की परिभाषा केवल भोजन और दवा देने तक सीमित नहीं रखी बल्कि उनके लिए सेवा का अर्थ था पीड़ित व्यक्ति को यह अनुभव कराना कि वह अकेला नहीं है,उसे प्यार और सम्मान मिला हुआ है। यही कारण था कि वे सदैव कहा करती थी,'हम बड़े-बड़े कार्य नहीं कर सकते लेकिन हम छोटे-छोटे कार्य बड़े प्रेम से कर सकते हैं।'

उनके आश्रमों में केवल भोजन या उपचार की सुविधा ही नहीं दी जाती थी बल्कि वहां पीड़ित व्यक्तियों को जीवन की गरिमा और आत्मसम्मान भी लौटाया जाता था। उन्होंने कुष्ठ रोगियों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए आश्रम बनाए, अनाथ और परित्यक्त बच्चों के लिए घर खोले और मृत्युशैया पर पड़े लोगों को अंतिम क्षणों में भी प्रेम और स्नेह का अहसास कराया। उनकी संस्था धीरे-धीरे

भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई, जिसके सैंकड़ों केंद्र आज विभिन्न देशों में मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। मदर टेरेसा की असाधारण सेवाओं को देखते हुए उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया और 1980 में 'भारत रत्न' प्रदान कर सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। विश्व स्तर पर उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त अनेक देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मानों से विभूषित किया किंतु इन सब पुरस्कारों और मान-सम्मानों के बीच भी वे सदैव विनम्र बनी रही और स्वयं को केवल ईश्वर का साधन मानती रही।

उनके जीवन और कार्यों की इतनी ऊंचाई होने के बावजूद वे आलोचनाओं से अछूती नहीं रही। कई बार उन पर धर्मांतरण के आरोप लगाए गए तो कई बार उनके आश्रमों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी की बात उठाई गई किंतु यह निर्विवाद सत्य है कि मदर टेरेसा ने लाखों असहायों को आशा, सहारा और जीवन का सम्मान प्रदान किया। उनके कार्यों का व्यापक प्रभाव इसी से समझा जा सकता है कि वे समाज की उस परत तक पहुंची, जिसे प्रायः शासन और व्यवस्था भी अनदेखा कर देती थी। 5 सितंबर 1997 को 87 वर्ष की आयु में जब उनका निधन हुआ, तब समूचे विश्व ने उन्हें खोने का दुःख अनुभव किया। उनके अंतिम संस्कार में दुनिया के अनेक देशों के नेता उपस्थित हुए और भारत ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी संस्था 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' उसी निष्ठा से मानवता की सेवा में कार्यरत है। 2016 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत की उपाधि प्रदान की, जिससे उनका जीवन एक वैश्विक आध्यात्मिक प्रेरणा का प्रतीक बन गया। मदर टेरेसा का जीवन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि वास्तविक महानता किसी पद, संपत्ति या शक्ति में नहीं बल्कि निःस्वार्थ सेवा और करुणा में निहित है। उन्होंने यह साबित किया कि जब तक हम दूसरों के दुःख को अपना नहीं मानते, तब तक जीवन का सही अर्थ अधूरा रहता है। आज जब दुनिया हिंसा, असमानता और स्वार्थ की चपेट में है, तब मदर टेरेसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठता है। उन्होंने सिखाया कि प्रेम और करुणा ही वह शक्ति है, जो मानवता को जोड़ सकती है। उन्होंने धर्म,जाति और भाषा की सीमाओं से परे जाकर यह बताया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है,जिसे आगे बढ़ाना हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है। मदर टेरेसा की जयंती का अवसर केवल स्मरण का नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर है, जो हमें यह सोचने पर विवश करता है कि हम अपने जीवन में कितना समय और कितनी संवेदनशीलता समाज के जरूरतमंदों के लिए समर्पित करते हैं। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास के जरूरतमंदों के लिए थोड़ा-सा भी प्रयास करे तो समाज में फैली असमानता और पीड़ा काफी हद तक कम हो सकती है। मदर टेरेसा का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल मानव सेवा है और सच्ची पूजा केवल करुणा है।

लोकतंत्र में मोब लीचिंग,भीड़ तंत्र के विवेक-हीन निर्णय का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं

संजीव कुमार ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

सामूहिक भीड़ का अपना कोई मस्तिष्क नहीं होता। उसमें व्यक्ति की स्वतंत्र विवेक-बुद्धि धीरे-धीरे सामूहिक उन्माद के सामने दबने लगती है। सड़क पर खड़ी भीड़ जब किसी आरोप, अफवाह,धार्मिक पहचान,जातीय पूर्वाग्रह अथवा सोशल मीडिया पर प्रसारित अधूरी सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति समाज अथवा बड़े समूह के निर्णय को दोषी ठहराकर स्वयं दंड देने लगती है,तब वह केवल एक व्यक्ति पर हिंसा नहीं करती,बल्कि कानून के शासन, संविधान और न्याय व्यवस्था की बुनियाद को चुनौती देती है। मॉब लिंचिंग इसी भीड़-मानसिकता का सबसे भयावह रूप है।

विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने अपनी पुस्तक ग्रूप साइकोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ इगो में भीड़ के मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हुए बताया कि समूह में व्यक्ति की भावनाएं तीव्र हो सकती हैं और उसकी बौद्धिक आलोचनात्मक क्षमता कमजोर पड़ सकती है। फ्रायड ने सामूहिक मानसिकता को आदिम समूह-मानस से जोड़ते हुए यह समझाने का प्रयास किया कि भीड़ में व्यक्ति का व्यक्तिगत विवेक किस प्रकार दब सकता है।यही कारण है कि अफवाह भीड़ में तथ्य से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। एक व्यक्ति कुछ कहता है,दूसरा उसे बढ़ाता है,तीसरा उसमें अपनी कल्पना जोड़ता है और कुछ ही मिनटों में एक झूठ सामूहिक सत्य की तरह प्रस्तुत होने लगता है।

मॉब लिंचिंग
कानून के स्थान पर उन्माद

मॉब लिंचिंग केवल हत्या का मामला नहीं है। यह उस मानसिकता का परिणाम है जिसमें व्यक्ति या समूह स्वयं को न्यायाधीश,पुलिस और जल्लाद तीनों समझने लगता है।

लोकतांत्रिक राज्य में अपराध का निर्धारण भीड़ नहीं करती। अपराध की जांच पुलिस करती है,अभियोजन अपना पक्ष रखता है और न्यायपालिका साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देती है। इसलिए भीड़ द्वारा किया गया तथाकथित न्याय वास्तव में न्याय नहीं,बल्कि कानून के शासन का अपहरण है। सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग की गंभीरता को देखते हुए राज्यों को निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। हर भीड़ हिंसक नहीं होती। स्वतंत्रता आंदोलन के जनसमूह,किसी प्राकृतिक आपदा में सहायता करने वाले नागरिक, लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सामाजिक सुधार के लिए जुटे लोग भी भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं। अंतर यह है कि ऐसी सामूहिकता नैतिक उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी से संचालित होती है। समस्या तब शुरू होती है जब भीड़ व्यक्ति की विवेकशीलता को निगल लेती है और उसमें मैंने नहीं किया, सबने

किया जैसी मानसिकता पैदा हो जाती है। तब जिम्मेदारी बिखर जाती है और अपराध सामूहिक हो जाता है। भीड़ में व्यक्ति अपनी पहचान खोकर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक इकाई का हिस्सा बन जाता है,जिसमें भावनाएं तर्क पर भारी पड़ सकती हैं। वह निर्दोष भी हो सकता है, लेकिन भीड़ के लिए सत्य की जांच से अधिक महत्वपूर्ण उसका तत्कालिक क्रोध हो जाता है। यही कारण है कि अफवाह भीड़ में तथ्य से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। एक व्यक्ति कुछ कहता है,दूसरा उसे बढ़ाता है, तीसरा उसमें अपनी कल्पना जोड़ता है और कुछ ही मिनटों में एक झूठ सामूहिक सत्य की तरह प्रस्तुत होने लगता है। मॉब लिंचिंग में कानून के स्थान पर केवल उन्माद ही होता है।मॉब लिंचिंग केवल हत्या का मामला नहीं है। यह उस मानसिकता का परिणाम है जिसमें व्यक्ति या समूह स्वयं को न्यायाधीश,पुलिस और जल्लाद तीनों समझने लगता है।

किसी व्यक्ति पर चोरी,बच्चा चोरी, पशु हत्या,धार्मिक अपमान,सांप्रदायिक अपराध अथवा किसी अन्य अपराध का आरोप लगते ही यदि भीड़ उसे घेरकर मार डालती है,तो उस व्यक्ति को न्याय पाने का अवसर ही नहीं मिलता। वह निर्दोष भी हो सकता है, लेकिन भीड़ के लिए सत्य की जांच से अधिक महत्वपूर्ण उसका तत्कालिक क्रोध हो जाता है।

यहां सबसे बड़ा प्रश्न केवल यह नहीं है कि भीड़ ने हत्या क्यों की प्रश्न यह भी है कि ऐसी मानसिकता पैदा क्यों हुई? इसके पीछे कई सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारण एक साथ काम करते हैं।

असमानता,बेरोजगारी और कुंठा

आज का समाज उपभोक्तावादी आकांक्षाओं से संचालित है। सफलता के चमकदार प्रतीक सामने हैं,लेकिन उन्हें प्राप्त करने के अवसर सभी के लिए समान नहीं हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार न मिलना,अल्प रोजगार, आर्थिक असमानता और सामाजिक अवसरों का केंद्रीकरण युवा मन में निराशा और कुंठा पैदा कर सकता है।

भारत में संपत्ति के वितरण को लेकर विभिन्न रिपोर्टों में गंभीर असमानता सामने आती रही है। उदाहरण के लिए, ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट में शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 77.4 प्रतिशत और शीर्ष 1 प्रतिशत के पास 51.53 प्रतिशत हिस्सा बताया गया था। आंकड़ों की पद्धति और वर्ष के अनुसार अनुपात बदल सकते हैं, लेकिन व्यापक तथ्य यह है कि आर्थिक असमानता लोकतांत्रिक समाज के लिए गंभीर चुनौती है।

विधायक की कार, भत्ता और सत्ता

संजय एम. तराणेकर
इन्दौर
मध्यप्रदेश

हर विधायक को कार मिले,
साथ में मिलता भत्ता,
जनता पूछे-हमको कब?
नेता बोले-बस सत्ता!
पचहत्तर हजार कार के,
पच्चीस हजार सहायक,
गाँव-गाँव अब घूमिए साहब,
बन जनसेवा-नायक।

कहते हैं-जनता की सुनना,
हर मुश्किल हल करना,
तीन माह में रिपोर्ट बनाना,
हरेक वादा पूरा करना।
ये कार नई है, राह पुरानी,
जनता फिर भी पैदल है,
साहब की गाड़ी दौड़ रही,
गाँव अब भी दलदल है।

किसान कहे-मेरी सुन लो,
युवा कहे-रोजगार दो,
गुरु बोले-स्कूल सँवारो,
मजूर कहे-अधिकार दो।
कार मिले तो ठीक साब,
जनता को भी याद रखिए,
सरकारी सुविधा सहित
जनता का दुःख साथ रखिए।

रक्षाबंधन

संतोष मिरी हेम
कोरबा
छत्तीसगढ़

रक्षाबंधन का त्योहार।
लाता देखो स्नेह अपार।।

रिश्तों का यह पावन पर्व।
इस पर हम सबको है गर्व।।

सजा हुआ दिखता बाजार।
अनुपम राखी दिखे हजार।।

राखी बंदन दीपक संग।
सजा थाल है लिए उमंग।।

चिंकी पकड़ी राखी थाल।
तिलक लगाती भाई भाल।।

करती देख आरती साथ।
बाँधे राखी भाई हाथ।।

भाई से पाकर उपहार।
खिलता बहनों का संसार।।

सजी कलाई लगती नेक।
खुशियाँ लाती संग अनेक।।

भारत को रीसाइक्लिंग केंद्र बनना है,दुनिया का कूड़ाघर नहीं

मुनाफे के कंटेनर में बंद भारत की आने वाली पीढ़ियां
भारत अपना कचरा नहीं संभाल पा रहा,फिर विदेशी कचरा क्यों?

प्रो.आरके जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

किसी देश की सीमाएं केवल नक्शे की रेखाएं नहीं;वे मिट्टी,पानी,हवा और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की चौकी हैं। जब समुद्र पार से आया जहाज माल नहीं,दूसरे देश का कचरा उगलता है,तो मामला सीमा शुल्क से उठकर राष्ट्र की अस्मिता तक पहुंच जाता है। जून 2026 में तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पर 'वेस्ट पेपर' बताकर लाए कंटेनरों से इस्तेमाल प्लास्टिक बोतलें,डिब्बे,थैलियां और विदेशी सड़कों की झाड़-पोंछ निकलना इसी सच्चाई का प्रमाण है। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डी. भारथा चक्रवर्ती ने इसे नियमों की धज्जियां उड़ाना नहीं,बल्कि भारत की धरती पर कचरा उड़ेलने वाला 'देशद्रोह का गंभीर रूप' कहा। यह शब्द चौंकाते हैं, क्योंकि हम पर्यावरणीय अपराध को अभी तक राष्ट्रीय अपराध की तरह देखना नहीं सीख पाए हैं।

विडंबना की इससे बड़ी तस्वीर क्या होगी–जिस देश में रोज लगभग 1.7 लाख टन नगरपालिका कचरा पैदा होता है,लैंडफिल कराह रहे हैं,नदियां प्लास्टिक से घुट रही हैं और मिट्टी में जहर उतर रहा है, वही भारत विदेशों का कचरा खरीद रहा है। 2024-25 में पुनर्चक्रण योग्य कचरे और स्क्रैप का आयात 12.74 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि 2021 से 2023 के बीच करीब दो करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक कचरा (आधिकारिक और अवैध/गलत घोषणा वाले दोनों स्रोतों को मिलाकर) देश में आया। सवाल यह नहीं कि कितना कचरा काम आ सकता है; सवाल है कि जब देश में रीसाइक्लिंग उद्योग के लिए पर्याप्त सामग्री है, तो विदेशी कचरे की जरूरत किसे? यदि जवाब कारोबारी मुनाफा है, तो यह व्यापार नहीं,मुनाफे की पैकिंग में छिपा पर्यावरणीय शोषण है।

यहां एक नए किस्म का उपनिवेशवाद जन्म लेता है। पहले शक्तिशाली देश गरीब देशों की जमीन और संसाधन हड़पते थे;अब अपने कचरे के लिए उन्हीं देशों की कमजोर निगरानी और सस्ते श्रम को खोजते हैं। विकसित देशों में पर्यावरणीय नियम जितने कठोर होते जाते हैं,जहरीला बोझ कमजोर व्यवस्थाओं वाले देशों पर डालने का लालच उतना बढ़ता है। भारत यदि इसे स्वीकार करता है तो वह केवल विदेशी कचरा नहीं खरीद रहा,बल्कि अपने लोगों का स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और नदियों का भविष्य गिरवी रख रहा है। इसे 'वेस्ट कोलोनियलिज्म' कहना अतिशयोक्ति नहीं। कचरा भी सत्ता का औजार हो सकता है–बस उसकी भाषा व्यापार और पुनर्चक्रण की होती है।

मद्रास हाईकोर्ट का महत्व यही है कि उसने सवाल को केवल 'यह कचरा कहां जाए' तक सीमित नहीं किया। अदालत ने न दुबई भेजने,न भारत में जलाने-दफनाने की अनुमति स्वीकार की। बासेल कन्वेंशन और खतरनाक अपशिष्ट नियम,2016 की भावना स्पष्ट है–अवैध कचरा उसी देश को लौटना चाहिए जहां से वह आया है। उसे किसी तीसरे देश के गरीब हिस्से में भेजना समाधान नहीं, अपराध की जिम्मेदारी खिसकाना है। घरेलू भट्टियों में जला देना भी नैतिक विजय नहीं, क्योंकि वही विष धुएं के रूप में लौटेगा। अदालत ने केंद्र से बायोमेडिकल और नगरपालिका कचरे के पुनः निर्यात संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट और कठोर बनाने का आग्रह कर जिम्मेदारी को नीति के दरवाजे तक पहुंचा दिया है।

सबसे बड़ा विरोधाभास हमारे नारों में छिपा है। एक ओर स्वच्छ भारत, प्लास्टिक नियंत्रण और आत्मनिर्भरता की घोषणाएं हैं;दूसरी ओर बंदरगाहों पर विदेशी कचरे के कंटेनर खुलते हैं। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ उत्पादन में आत्मनिर्भर होना है,तो क्या कचरे में आत्मनिर्भर होने का गौरव नहीं? हम अपना कचरा नहीं संभाल पा रहे और दूसरों का कचरा संभालने को बंदरगाह खोल रहे हैं। मिट्टी,पानी और खाद्य श्रृंखला में घुलते विष आज न दिखें, पर आने वाली पीढ़ियां उनकी कीमत स्वास्थ्य,बीमारी और घटती जीवन-गुणवत्ता से चुकाएंगी। ऐसी विकास-रफ्तार किस काम की, जिसके पीछे जहरीला पदचिह्न छूटे?

समाज की चुप्पी इस कारोबार की सबसे बड़ी ताकत है। यह मामला उतनी बड़ी सार्वजनिक बहस नहीं बन पाया, जितनी बननी चाहिए थी। पर्यावरण सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग देखना अब पुरानी सोच है। जैसे सीमा पार हथियारों की तस्करी खतरा है, वैसे ही जहरीला कचरा भी। फर्क इतना–हथियार एक दिन में मारते हैं,कचरा वर्षों में। उद्योगपति मुनाफा गिनता है, अधिकारी कागज,नागरिक अस्पताल की पर्ची। इस त्रिकोण को तोड़े बिना कोई स्वच्छता अभियान सफल नहीं होगा। अदालत की चेतावनी को महज न्यायिक टिप्पणी समझना भूल होगी;यह उस सार्वजनिक विवेक को जगाने का प्रयास है,जो धीरे-धीरे सुविधा का आदी हो गया है।

रास्ता कठिन है,अस्पष्ट नहीं। संदिग्ध या गलत घोषित कचरे पर कठोर दंड हो, बंदरगाहों पर वैज्ञानिक और स्वतंत्र जांच हो,आयात नियमों की आड़ में छिपे रास्ते बंद हों और पुनर्चक्रण उद्योग को विदेशी कचरे पर निर्भर बनाने के बजाय देश में पैदा कचरे के वैज्ञानिक उपयोग की ओर मोड़ा जाए। पूर्ण प्रतिबंध पर विचार करना होगा,खासकर उन कचरा श्रेणियों पर जिनका घरेलू प्रबंधन संकट में है। सर्कुलर इकोनॉमी का अर्थ दुनिया भर का कचरा भारत में घुमाना नहीं; संसाधनों का बार-बार उपयोग और अपशिष्ट न्यूनतम करना है। 2047 का विकसित भारत कचरे के आयात से विकसित नहीं होगा। वह तब विकसित कहलाएगा, जब बंदरगाह माल के लिए खुलें,कचरे के लिए नहीं।

मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी का गहरा अर्थ यही है कि पर्यावरणीय स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का रूप है। राजनीतिक आजादी हमें शासन चुनने का अधिकार देती है;पर्यावरणीय संप्रभुता यह अधिकार देती है कि अपनी धरती के साथ क्या करना है, इसका फैसला हम करें। भारत की जमीन किसी दूसरे देश की सफाई का सस्ता विकल्प नहीं हो सकती। विदेशी कचरा लौटाना केवल कंटेनर लौटाना नहीं; उस मानसिकता को लौटाना है,जिसमें गरीब देश को अमीर दुनिया का कूड़ाघर मान लिया जाता है। अब फैसला भारत को करना है–वह अपनी शर्तों पर दुनिया का रीसाइक्लिंग केंद्र बनेगा या कूड़ाघर। इन दोनों रास्तों का फर्क केवल नीति का नहीं,राष्ट्रीय आत्मसम्मान का है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

C M Y K

जनहित की आवाज और आधुनिक खेती के पैरोकार लल्लू विजय शरण सिंह का निधन

74 वर्ष की उम्र में बिलासपुर के अस्पताल में ली अंतिम सांस, क्षेत्र में शोक की लहर...आज सुबह 11 बजे गृह निवास से निकलेगी अंतिम यात्रा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
नगर से लगे ग्राम लब्जी (महुआटिकरा-भिठीकला) निवासी एवं क्षेत्र में जनहित के मुद्दों को लेकर सदैव सक्रिय रहने वाले लल्लू विजय शरण सिंह (74) का मंगलवार दोपहर बिलासपुर के प्रथम हॉस्पिटल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वे ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में उपचाररत थे। चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका और उन्होंने जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

जनहित के मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे...

लल्लू विजय शरण सिंह अपने स्पष्ट विचारों और बेबाक व्यक्तित्व के लिए क्षेत्र में अलग पहचान रखते थे। जनहित से जुड़े मुद्दों, क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं और सामाजिक

सरोकारों को लेकर वे हमेशा सक्रिय रहते थे। आम लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर उनके समाधान के लिए आवाज उठाना उनके स्वभाव में शामिल था। सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर भी वे स्वतंत्र सोच रखते थे और आमजन के हित में अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते थे। क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थी, जो किसी भी जनसमस्या को लेकर चुप बैठने के बजाय उसके समाधान के लिए प्रयास करता था।

आधुनिक खेती के भी रहे पक्षधर

सामाजिक सरोकारों के साथ लल्लू विजय शरण सिंह की कृषि में भी विशेष रुचि थी। वे परंपरागत खेती के साथ आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के पक्षधर रहे। खेती को बेहतर और लाभकारी बनाने के लिए नई तकनीक एवं वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के प्रति वे किसानों को भी प्रोत्साहित करते थे।

परिवार में पसरा मातम

उनके निधन से परिवार में गहरा दुःख व्याप्त है। वे अपने पीछे पत्नी, तीन पुत्रों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से बिलासपुर से उनके गृह निवास लाया जा रहा है।

आज निकलेगी अंतिम यात्रा

परिजनों के अनुसार लल्लू विजय शरण सिंह की अंतिम यात्रा बुधवार सुबह 11 बजे उनके गृह निवास से निकाली जाएगी। उनके निधन पर क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक एवं आम नागरिकों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जनहित के सवालों पर बेबाक आवाज उठाने वाला एक सक्रिय चेहरा अब हमेशा के लिए खामोश हो गया।

कोटबहरा जंगल में पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव

प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका,बाइक और आधार कार्ड बरामद;पुलिस ने शुरू की जांच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
ग्राम पंचायत कल्याणपुर के कोटबहरा जंगल में मंगलवार को एक पेड़ पर गमछे के सहारे युवक-युवती के शव लटके मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों की पहचान 18 वर्षीय रिंकी कुमारी पिता अमरजीत सिंह निवासी तेलसरा,थाना रामानुजनगर और 26 वर्षीय मूलचंद पिता मोहरलाल निवासी खडग़वां, प्रतापपुर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने मौत के कारणों को लेकर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। बताया गया कि मंगलवार को कुछ ग्रामीण खुखड़ी चुनने के लिए कोटबहरा जंगल गए थे। जंगल के भीतर पहुंचने पर उनकी नजर पेड़ से लटके युवक-युवती के शवों पर पड़ी। सूचना पर लटोरी पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई की और मौके से मिले साक्ष्यों को जांच के लिए सुरक्षित किया। शुरुआत में दोनों शवों की पहचान नहीं हो सकी थी। जांच के दौरान युवक की जेब से आधार कार्ड मिलने पर उसकी पहचान मूलचंद के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर युवती की पहचान रिंकी कुमारी के रूप में की। पुलिस के अनुसार दोनों एक-दूसरे को जानते थे और उनके बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी सामने आई है। घटनास्थल के पास एचएफ डीलक्स बाइक क्रमांक सीजी 15 डीजी 3422 भी मिली है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आशंका है कि

दोनों इसी बाइक से जंगल पहुंचे होंगे। परिजनों के अनुसार दोनों सोमवार को अपने-अपने घर से बिना बताए निकले थे। पुलिस दोनों के मोबाइल फोन, परिजनों और परिचितों से पूछताछ के साथ अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल लटोरी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए।

ग्राम पंचायत लब्जी के सचिव निलंबित

वित्तीय अनियमितता के आरोप प्रमाणित विभागीय जांच के बाद कार्रवाई..

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
जनपद पंचायत अम्बिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत लब्जी में पदस्थ सचिव अमन सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत लब्जी में छापरड़ाड नाला के पास पुलिया निर्माण, सी.सी. रोड निर्माण रामलाल घर से कंवलसाय घर तक,मिडिल स्कूल शौचालय निर्माण,खेल मैदान के विकास हेतु,नाली निर्माण, आंगनबाड़ी भवन में शौचालय निर्माण,बाजार में शेड निर्माण हेतु प्राप्त राशि से कार्य न कराकर वित्तीय अनियमितता किये जाने एवं शिकायत जांच समिति के समक्ष निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप आदेश जारी कर निलंबित कर आरोप पत्र आरोप विवरण के अनुसार एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया। आरोप पत्र का प्रत्युत्तर समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश के तहत विभागीय जांच संस्थित करते हुए उप संचालक पंचायत को जांचकर्ता अधिकारी एवं जिला अंकेक्षक पंचायत को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्ति किया गया है। उक्त निर्देशानुसार विभागीय जांचकर्ता अधिकारी उप संचालक पंचायत के द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक जांच कर,निष्कर्ष सह जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जांच प्रतिवेदन में जांच अधिकारी द्वारा उल्लेखित किया गया कि सचिव अमन सिंह द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष अपने बचाव हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लब्जी के निर्माण कार्यों को पूर्ण न कराकर राशि रूपये 1658800.00 का वित्तीय अनियमितता किया जाना प्रमाणित पाया गया। अमन सिंह अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह एवं गैर-जिम्मेदार है। परीक्षण के बाद विभागीय जांचकर्ता अधिकारी के निष्कर्ष एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन अनुसार पंचायत सचिव अमन सिंह के ऊपर आरोपित आरोप प्रमाणित पाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम-3 एवं छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के विपरीत होने कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत दण्डनीय है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत लब्जी के तत्कालीन सचिव के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील), नियम 1999 के नियम-5 (ख) (सात) के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया है।

सरस्वती साइकिल योजना से छात्राओं को मिली पढ़ाई की राह आसान

गुमगराकला स्कूल में कक्षा 9वीं के नवप्रवेशी विद्यार्थियों को किया गया निःशुल्क साइकिल वितरण

-संवाददाता-
लखनपुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुमगराकला में निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं के नवप्रवेशी विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई। साइकिल मिलने से विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जनपद सदस्य नीतू धर्मेन्द्र झारिया ने विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्यालय तक पहुंचने में सुविधा देना और उनकी पढ़ाई को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान किया। कार्यक्रम को पूर्व जनपद सदस्य धर्मेन्द्र झारिया एवं ग्राम पंचायत गुमगराकला की सरपंच कलावती उर्रे ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश साहू, विधायक प्रतिनिधि एवं पूर्व एसएमडीसी अध्यक्ष गौरीशंकर साहू, एसएमसी अध्यक्ष रीना कुशवाहा, शिवप्रताप उर्रे, उपाध्यक्ष सुनील सिंह मरकाम, पूर्व सरपंच लोकनाथ उर्रे, कपूर साहू, शिवलाल साहू, रजत लाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

टेट की अनिवार्यता के विरोध,अवकाश पर रहे शिक्षक,निकाली रैली

पदोन्नति सूची में अनटेट शिक्षकों को शामिल करने की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालय अंबिकापुर में शिक्षकों ने कला केंद्र मैदान में धरना-प्रदर्शन किया। वर्षों तक सेवा देने के बाद पदोन्नति के लिए टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में मंगलवार को सरगुजा के लगभग 2 हजार से अधिक शिक्षक सड़क पर उतरे। इसके बाद 'टेट मुक्ति महारैली' निकालकर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं लोक शिक्षण संचालनालय के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि पूर्व में नियुक्त शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति के नियमों में टेट अनिवार्य नहीं था। ऐसे में वर्षों तक सेवा देने के बाद नई प्रक्रिया के तहत टेट की अनिवार्यता लागू किए जाने से बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। संगठन ने पदोन्नति सूची में गैर-टेट शिक्षकों को शामिल करने की मांग की है। रैली के बाद मोर्चा के जिला संयोजक कमलेश सिंह ने कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर विचार किए बिना पदोन्नति सूची जारी की गई तो संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश संयोजकों ने पूर्व में शिक्षा सचिव कमलप्रीत सिंह और लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी से मुलाकात कर टेट से प्रभावित शिक्षकों सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की है। मोर्चा ने ज्ञापन में वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता समाप्त करने, शिक्षकों के लिए बीएड ब्रिज कोर्स शुरू करने, 13 फरवरी 2026 को जारी नई भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की विसंगतियां दूर करने, पुरानी पेंशन के लिए पूर्व सेवा की गणना करने तथा शिक्षक-कर्मचारियों को केंद्रीय स्तर का वेतनमान देकर वेतन विसंगति दूर करने की मांग की।

नशे के कारण माता-पिता ने छोड़ा,इटली के दंपति ने दोनों बहनों को लिया गोद

तीन-चार साल से एमएसएसव्हीपी बालिका गृह में रह रहीं थीं अब इटली में नए माता-पिता के साथ शुरू करेंगी नई जिंदगी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
नशे की लत के कारण माता-पिता द्वारा त्यागी गई दो बहनों को अब नया परिवार मिल गया है। 11 और 10 वर्ष की दोनों बहनों रानी व अर्चना को इटली के दंपति ने विधिवत गोद लिया है। करीब तीन से चार वर्ष तक एमएसएसव्हीपी बालिका गृह में रहने के बाद दोनों बहनें अब अपने नए माता-पिता के साथ इटली जाएंगी। एमएसएसव्हीपी बालिका गृह में 8 मई को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के तहत दोनों बच्चियों की इटली के दंपति दत्तक माता एलिना और दत्तक पिता फेडरिको एलिको से मुलाकात कराई गई। इस दौरान अपर कलेक्टर ने भी दंपति और बच्चियों से बातचीत की। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अगस्त को प्रशासन ने दोनों बच्चियों को दंपति को सौंप दिया।

परिजनों की तलाश,नहीं मिली जानकारी : बालिका गृह की संचालिका मीरा

शुक्ला ने बताया कि दोनों बहनें करीब चार वर्ष पहले बालिका गृह आई थीं। उनके माता-पिता नशे के आदी थे और उन्होंने बच्चियों को छोड़ दिया था। बालिका गृह की टीम ने उनके परिजनों की काफी तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका।

कारा वेबसाइट से हुआ दत्तक ग्रहण : दोनों बच्चियों को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की वेबसाइट के माध्यम से दत्तक ग्रहण के लिए पंजीकृत किया गया था। इटली के दंपति ने वेबसाइट के जरिए दोनों बच्चियों को गोद लेने में रुचि दिखाई। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चियों की राय भी ली गई। दोनों ने नए माता-पिता के साथ इटली जाने और उनके साथ रहने की सहमति दी।

तीन माह तक सिखाई अंग्रेजी : संचालिका ने बताया कि दंपति पहली बार मई में इटली से अंबिकापुर पहुंचे थे। इस दौरान बच्चियों से उनकी मुलाकात कराई गई। दोनों बच्चियों को नए वातावरण में सहज बनाने के साथ अंग्रेजी भाषा की समझ के लिए करीब तीन माह तक अंग्रेजी की कक्षाएं भी कराई गईं। अब दोनों बहनें अपने नए परिवार के साथ इटली में नई जिंदगी शुरू करेंगी।

आंगनबाड़ी सहायिका से मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
गांधीनगर थाना क्षेत्र के मेण्ड्राखुर्द स्थित आदिवासी पारा आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका से गाली-गलौज, मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक,कलेक्टर और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी से की है। पीड़िता की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मुन्नी बाई आंगनबाड़ी केंद्र आदिवासी पारा में सहायिका के पद पर कार्यरत है। उसका आरोप है कि केंद्र की कार्यकर्ता गायत्री राजवाड़े पिछले करीब छह महीने से अधिकांश समय रायपुर में रहती हैं और कभी-कभार ही केंद्र आती हैं। उनके स्थान पर सूरजमनी के काम करने और केंद्र संचालन को लेकर विवाद चल रहा है। 30 जून को गैस खत्म होने के कारण बच्चों को सत्तु खिलाने की बात कहने पर सूरजमनी से विवाद हुआ था। इसके बाद फोन पर गायत्री राजवाड़े और उनके पति से बातचीत हुई। आरोप है कि इस दौरान उनके पति ने गाली-गलौज करते हुए धमकी दी थी। इस घटना की शिकायत पुलिस, कलेक्टर और महिला एवं बाल विकास विभाग से की गई थी। शिकायत में आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर 14 जुलाई को दोपहर करीब 12.30 बजे गायत्री राजवाड़े, सूरजमनी और बजरंग चेरवा आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। तीनों ने गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्के से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर पास के शासकीय स्कूल के शिक्षक पहुंचे और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

अम्बिकापुर में वृत्त स्तरीय वन संरक्षण ऑनलाइन कार्यशाला संपन्न

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
वृत्त स्तरीय वन संरक्षण ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को काष्ठागार अम्बिकापुर में किया गया। कार्यशाला में रायपुर से सहायक वन संरक्षक श्री संदीप सिंह तथा एफएमआईएस टीम के द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ऐप का उपयोग एवं कार्यप्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ सरगुजा के वनमण्डलाधिकारी श्री लोकनाथ पटेल द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उन्होंने ऐप की उपयोगिता, कार्यों को समयबद्ध तरीके से संपादित करने तथा कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग में इसकी भूमिका के सम्बंध में जानकारी दी। सहायक वन संरक्षक श्री संदीप सिंह ने वन संरक्षण से संबंधित ऑलनाइन ऐप की कार्यप्रणाली उपयोगिता एवं विभिन्न तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी देकर प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यशाला में सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़,

एलीफेंट रिजर्व एवं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित समस्त एसडीओ/आरओ एवं कार्यालयीन स्टॉफ उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य वन संरक्षण संबंधी कार्यो को ऑनलाइन एवं समयबद्ध रूप से संपादित करने तथा उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग को सुनिश्चित करना था।

जिला पंचायत क्षेत्र में श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर का शुभारंभ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शासन की योजनाओं से जोड़ने और उनके सर्वांगीण उत्थान के उद्देश्य से जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर की शुरुआत की गई है। विकासखंड अंबिकापुर की ग्राम पंचायत सुखरी स्थित पंचायत भवन में प्रथम शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर के मार्गदर्शन तथा जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 2 अंबिकापुर की सदस्य पायल विश्व विजय तोमर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आयोजकों ने बताया कि ग्रामीण अंचल में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिक हैं जिनका श्रम विभाग में पंजीयन नहीं हुआ है, या उनका पुराना पंजीयन नवीनीकरण के अभाव में निष्क्रिय हो गया है। पंजीयन नहीं होने से वे

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता,औजार सहायता योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना,मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन,मातृत्व एवं शिशु सहायता,दुर्घटना बीमा, पेंशन और अंत्येष्टि सहायता जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पहले दिन दिखा उत्साह : सुखरी में आयोजित शिविर में सुबह से ही श्रमिकों की भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर पंजीयन कराया। शिविर स्थल पर आवेदन फॉर्म भरने, दस्तावेज सत्यापन और ऑनलाइन एंट्री की व्यवस्था की गई थी। जिला पंचायत सदस्य पायल सिंह तोमर स्वयं टेबल पर बैठकर श्रमिकों से संवाद किया और फॉर्म भरवाते नजर आईं। उनके साथ पंचायत प्रतिनिधि एवं समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। जिला पंचायत सदस्य पायल सिंह तोमर ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि जिला पंचायत क्षेत्र का एक भी पात्र श्रमिक पंजीयन से न छूटे। श्रमिक हमारे विकास की नींव हैं, उन्हें शासन की हर योजना का लाभ मिलना चाहिए। आने वाले दिनों में जिला पंचायत के अन्य ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी इसी क्रम में शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर की तिथि और स्थान की जानकारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से दी जाएगी। शिविर में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और श्रमिक प्रमाण पत्र के साथ पहुंचकर तत्काल पंजीयन एवं नवीनीकरण कराया जा सकता है। इस दौरान सुखरी सरपंच कुमारी बाई श्याम , भाजपा ग्रामीण मंडल मंत्री कमला बाई,भाजपा मंडल मंत्री रवि गुप्ता , एल्डरमैन श्रीधर केशरी, ओबीसी मोर्चा से अविनाश कुशवाहा, दिगम्बर यादव,अजय राजवाड़े, राधे,गंगा राजवाड़े,गौतम कुशवाहा एवं श्रमिक जन उपस्थित रहे।

CMYK

आबकारी विभाग के 'बड़े बाबू' का वीडियो वायरल,दुकान बंद होने के बाद शराब मांगने और कर्मचारियों को धमकाने का आरोप

कथित वीडियो ने विभागीय कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल,हाजिरी के नाम पर दुकान-दुकान कथित वसूली के आरोप ने बढ़ाई चिंता

-संवाददाता-
बैकुंठपुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिला आबकारी विभाग एक कथित वायरल वीडियो को लेकर सवालों के घेरे में है, सोशल मीडिया और विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में प्रसारित वीडियो में विभाग से जुड़े एक व्यक्ति को शराब दुकान के कर्मचारियों के साथ बहस और दबाव की स्थिति में देखा जा रहा है, वीडियो में शराब की बोतल भी दिखाई देती है और इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति दुकान बंद होने के बाद भी कर्मचारियों से शराब मांग रहा था। वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है,इसलिए इसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान,वीडियो की तारीख, स्थान और पूरी घटना की परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। लेकिन वीडियो के साथ प्रसारित संदेशों में लगाए गए आरोपों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,दावा किया जा रहा है कि विभाग का यह 'बड़ा बाबू' शराब दुकान बंद होने के बाद कर्मचारियों को कथित रूप से धमकाते हुए शराब मांगता है और शराब नहीं देने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है,यदि जांच में यह आरोप सही पाया जाता है तो मामला केवल व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि विभागीय अनुशासन,पद के प्रभाव और शराब दुकानों की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े होंगे।

दुकान बंद होने के बाद शराब मांगने का दावा,आखिर किसके दबाव में कर्मचारी?

वायरल वीडियो को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि दुकान का निर्धारित समय समाप्त हो चुका था,तो उसके बाद शराब उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारियों पर कथित दबाव क्यों बनाया गया? शराब दुकानों के संचालन और बिक्री की निगरानी आबकारी व्यवस्था के अंतर्गत आती है,ऐसे में विभाग से जुड़े व्यक्ति पर ही यदि दुकान बंद होने के बाद शराब मांगने का आरोप लग रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है, वीडियो में मौजूद दृश्य और उसे लेकर प्रसारित संदेश यह दावा करते हैं कि संबंधित व्यक्ति पहले से नशे की हालत में दिखाई दे रहा था और कर्मचारियों से शराब लेने को लेकर विवाद कर रहा था, हालांकि केवल वीडियो के दृश्य के आधार पर किसी व्यक्ति के नशे में होने का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए चिकित्सकीय या अन्य स्वतंत्र प्रमाण आवश्यक होंगे, यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को जांच के दायरे में लाना जरूरी है, सवाल यह भी है कि क्या यह घटना केवल एक दिन की है या फिर कर्मचारियों के अनुसार इस तरह की मांग पहले भी होती रही है? यदि यह नियमित व्यवहार था तो दुकान संचालकों और कर्मचारियों ने पहले शिकायत क्यों नहीं की? क्या उन्हें विभागीय कार्रवाई का डर था? इन सवालों के जवाब कर्मचारियों के स्वतंत्र बयान से सामने आ सकते हैं।

कर्मचारियों पर दबाव की शिकायत सही है तो मामला गंभीर- शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारी विभागीय निगरानी और संचालन व्यवस्था के अधीन काम करते हैं, यदि किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली कर्मचारी द्वारा शराब उपलब्ध कराने अथवा हाजिरी के नाम पर कथित रूप से दबाव बनाया जाता है, तो अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए खुलकर शिकायत करना कठिन हो सकता है, यही वजह है कि जांच की स्थिति में कर्मचारियों के बयान स्वतंत्र और बिना दबाव के दर्ज किए जाना जरूरी है, जांच में यह भी देखा जाना चाहिए कि जिले की कितनी शराब दुकानों से ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, यदि आरोप केवल एक दुकान तक सीमित हैं तो घटना की प्रकृति अलग होगी, लेकिन यदि कई दुकानों के कर्मचारी एक जैसी शिकायत करते हैं तो यह विभागीय स्तर पर व्यापक जांच का आधार बन सकता है।

अब हाजिरी के नाम पर कथित वसूली का आरोप भी सामने आया- मामले को और गंभीर बनाते हुए शराब दुकान से जुड़े कर्मचारियों की ओर से एक अन्य आरोप भी सामने आने की बात कही जा रही है, आरोप है कि कुछ कर्मचारी यदि छुट्टी पर रहते हैं या किसी कारण से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कर पाते, तो उनकी हाजिरी बनाने के नाम पर संबंधित बड़े बाबू द्वारा कथित रूप से दुकान-दुकान जाकर पैसे की मांग की जाती है, हालांकि इस आरोप की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, यदि ऐसा हो रहा है तो यह केवल कर्मचारियों के शोषण का मामला नहीं होगा, बल्कि हाजिरी जैसी आधिकारिक व्यवस्था के दुरुपयोग का भी गंभीर प्रश्न बनेगा, इस आरोप की सच्चाई जानने के लिए विभाग को संबंधित कर्मचारियों के बयान, ऑनलाइन उपस्थिति का रिकॉर्ड, कथित भुगतान की जानकारी और संबंधित अधिकारी की भूमिका की जांच करनी चाहिए।

क्या कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है?- शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी विभागीय अधिकारियों और पर्यवेक्षण व्यवस्था के अधीन रहते हैं, ऐसे में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल कर शराब मांगता है या हाजिरी के नाम पर कथित रूप से पैसे की मांग करता है, तो कर्मचारियों के लिए विरोध करना मुश्किल हो सकता है, यही वजह है कि सामने आए आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। कर्मचारियों के बयान गुप्त रूप से दर्ज किए जाएं तो यह भी सामने आ सकता है कि कथित वसूली एक-दो मामलों तक सीमित थी या फिर कई दुकानों में ऐसी शिकायतें हैं।

हाजिरी के नाम पर दुकान-दुकान कथित वसूली का आरोप

वायरल वीडियो के साथ सामने आए आरोपों का दूसरा पहलू और भी गंभीर है,शराब दुकान से जुड़े कर्मचारियों की ओर से कथित रूप से यह शिकायत सामने आई है कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर रहता है या किसी कारण से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कर पाता,तो हाजिरी बनाने के नाम पर कथित रूप से पैसे की मांग की जाती है,आरोप यह भी है कि इस तरह की कथित वसूली के लिए दुकान-दुकान जाकर कर्मचारियों से राशि मांगी जाती है,इस आरोप की भी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसा कोई तंत्र वास्तव में चल रहा है तो यह गंभीर प्रशासनिक विषय होगा,ऑनलाइन हाजिरी एक आधिकारिक व्यवस्था है और उसमें किसी कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज करने या अनुपस्थिति को ठीक करने के नाम पर निजी रूप से पैसे लेना कथित रूप से अधिकार के दुरुपयोग की श्रेणी में आ सकता है। इसकी सच्चाई जानने के लिए विभाग को डिजिटल हाजिरी का रिकॉर्ड, अवकाश आवेदन, संबंधित दुकानों की उपस्थिति रिपोर्ट और कर्मचारियों के स्वतंत्र बयान की जांच करनी चाहिए।

'बड़े बाबू' के नाम से चल रही चर्चा की भी हो जांच

विभिन्न व्हाट्सऐप समूहों में प्रसारित संदेशों में संबंधित व्यक्ति को 'बड़ा बाबू' बताया जा रहा है, इससे विभागीय स्तर पर यह स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति कौन है और उसकी विभाग में वास्तविक पदस्थापना क्या है, यदि वह विभागीय कर्मचारी नहीं है तो विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, यदि वह विभागीय कर्मचारी है तो उसके पद, दायित्व और संबंधित शराब दुकानों पर उसकी निगरानी भूमिका की भी जानकारी सामने आनी चाहिए, किसी वायरल वीडियो में किसी व्यक्ति की पहचान केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर तय करना उचित नहीं है, इसलिए विभागीय जांच में वीडियो का मूल स्रोत, रिकॉर्डिंग की तारीख और स्थान, वीडियो की निरंतरता तथा उसमें मौजूद व्यक्तियों के बयान महत्वपूर्ण होंगे।

'फ्री की शराब' मांगने के आरोप की भी जांच जरूरी

प्रसारित संदेशों में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति कर्मचारियों से 'फ्री में शराब' मांगता है और नहीं देने पर कथित रूप से गाली-गलौज या दबाव का प्रयोग करता है, इस आरोप की पुष्टि भी उपलब्ध सामग्री से स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है,फिर भी यदि जांच में यह साबित होता है कि कोई विभागीय कर्मचारी अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल कर शराब की मांग करता था, तो यह गंभीर आचरण का मामला होगा,यहां विभाग के सामने दोहरी जिम्मेदारी है–पहली,वीडियो की सत्यता और घटना की वास्तविकता की जांच, दूसरी, कर्मचारियों द्वारा लगाए जा रहे वसूली और दबाव के आरोपों की स्वतंत्र जांच। दोनों को अलग-अलग बिंदुओं पर जांचना जरूरी होगा,ताकि किसी एक आरोप की आड़ में दूसरे आरोप को नजरअंदाज न किया जाए।

वायरल वीडियो ने विभाग की छवि पर भी खड़े किए सवाल

आबकारी विभाग का काम शराब की बिक्री और उससे जुड़े नियमों की निगरानी करना है,ऐसे में विभाग से जुड़े किसी कर्मचारी का शराब दुकान के संदर्भ में विवादित वीडियो सामने आना विभाग की छवि के लिए भी नुकसानदेह है,खासकर तब,जब उसी वीडियो के साथ कर्मचारियों से कथित रूप से पैसे लेने और शराब मांगने जैसे आरोप भी प्रसारित हो रहे हों,हालांकि किसी वायरल वीडियो को अंतिम प्रमाण मानना उचित नहीं है, वीडियो के साथ छेड़छाड़,अधूरा वीडियो,संदर्भ से अलग दृश्य या पुरानी घटना को नए दावे के साथ प्रसारित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए आधिकारिक जांच ही यह तय कर सकती है कि वीडियो वास्तविक घटना का है या नहीं और उसमें दिखाई दे रही घटना की वास्तविक पृष्ठभूमि क्या है।

विभाग के सामने खड़े हैं कई सवाल

- पहला सवाल–वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति कौन है और क्या वह कोरिया आबकारी विभाग का कर्मचारी है?
- दूसरा सवाल–वीडियो कहां और कब बनाया गया तथा क्या उस समय संबंधित शराब दुकान निर्धारित समय के बाद बंद हो चुकी थी?
- तीसरा सवाल–क्या दुकान बंद होने के बाद शराब मांगने का आरोप सही है?
- चौथा सवाल–क्या कर्मचारियों पर शराब देने के लिए दबाव या अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया?
- पांचवां सवाल–क्या ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग पाने या छुट्टी के मामलों में हाजिरी बनाने के नाम पर कर्मचारियों से पैसे मांगे जाते हैं?
- छठा सवाल–क्या कथित वसूली एक दुकान तक सीमित है या कई दुकानों के कर्मचारी इससे प्रभावित हैं?
- सातवां सवाल–यदि पैसे की मांग की गई तो उसका कोई रिकॉर्ड, लेन-देन या कर्मचारी का बयान उपलब्ध है?
- आठवां सवाल–विभाग ने वायरल वीडियो और आरोपों का संज्ञान लिया है या नहीं?

अब नजर विभाग की अगली कार्रवाई पर...

फिलहाल इस पूरे मामले में वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और आरोपों की आधिकारिक जांच बाकी है,इसलिए किसी व्यक्ति को केवल वायरल सामग्री के आधार पर दोषी ठहराना उचित नहीं होगा,लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वायरल वीडियो और उसके साथ सामने आए आरोपों को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता,कोरिया के आबकारी विभाग को अब यह स्पष्ट करना होगा कि वायरल वीडियो को लेकर उसकी जानकारी क्या है,संबंधित व्यक्ति विभाग से जुड़ा है या नहीं और कर्मचारियों द्वारा लगाए जा रहे कथित वसूली के आरोपों की जांच कौन करेगा? सवाल अब केवल एक वायरल वीडियो का नहीं है,सवाल यह है कि यदि विभाग की निगरानी व्यवस्था के भीतर ही शराब मांगने,कर्मचारियों को कथित रूप से धमकाने और ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर दुकान-दुकान पैसे मांगने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं, तो इनकी निष्पक्ष जांच कब होगी? कर्मचारियों और विभाग दोनों के हित में यही बेहतर होगा कि आरोपों को सोशल मीडिया की बहस तक सीमित रखने के बजाय दस्तावेज,सीसीटीवी, डिजिटल हाजिरी और स्वतंत्र बयानों के आधार पर पूरा सच सामने लाया जाए।

भगवा वेश में निकले सैकड़ों नन्हे कांवड़िए, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा उदयपुर

-संवाददाता-
उदयपुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सावन के अंतिम सोमवार को उदयपुर में आस्था और संस्कार का अनूठा नजारा देखने को मिला। स्कायरिच एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के सैकड़ों नन्हे विद्यार्थी भगवा वेश में कांवड़ लेकर निकले। केजी-1 से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों ने पहली बार आयोजित बाल कांवड़ यात्रा में उत्साह के साथ भाग लिया। हाथों में कांवड़ और जुबां पर हर-हर महादेव, बोल बम के जयघोष के बीच बच्चों ने उदेश्वर शिवमंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।

विद्यालय परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसके बाद बच्चे अपने माता-पिता,अभिभावकों और शिक्षकों के साथ कांवड़ लेकर मंदिर के लिए रवाना हुए। छोटी उम्र के बच्चों में कांवड़ यात्रा को लेकर खासा उत्साह रहा। नन्हे कांवडियों के स्वागत के लिए नगरवासियों ने जगह-जगह व्यवस्था की। व्यवसायियों और सामाजिक संगठनों ने बच्चों को फल, बिस्किट, पानी और अन्य सामग्री वितरित की। मनीष बंसल ट्रैक्टर्स और शारदा महिला मंडल की ओर से भी बच्चों का स्वागत कर फल वितरित किए गए। नगरवासियों ने कई स्थानों पर पुष्पवर्षा कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। भगवा वस्त्रों में कांवड़ लेकर चल रहे बच्चों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे जुटे रहे। पहली बार आयोजित इस बाल कांवड़ यात्रा ने पूरे नगर का ध्यान आकर्षित किया। उददेश्वर शिवमंदिर पहुंचने के बाद सभी बाल कांवडियों ने विधि-विधान से भगवान शिव को जल अर्पित किया। बच्चों ने परिवार, विद्यालय और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार आयोजन का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपरा, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता से जोडना है।

4 करोड़ से अधिक के गांजा मामले में फरार आरोपी मध्यप्रदेश से गिरफ्तार

जयनगर पुलिस ने बरही-कटनी में दबिश देकर पकड़ा,बस से 848 किलो 650 ग्राम गांजा बरामदगी के मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
सूरजपुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिले के थाना जयनगर क्षेत्र में करीब 4 करोड़ 24 लाख रुपये कीमत के 848 किलो 650 ग्राम गांजा बरामदगी के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी को पुलिस ने मध्यप्रदेश के कटनी जिले से गिरफ्तार किया है, जयनगर पुलिस ने तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपी की लोकेशन की जानकारी जुटाई और ग्राम खिरहनी,बरही में घेराबंदी कर उसे पकड़ा। आरोपी को न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद सूरजपुर लाया गया,जहां पूछताछ के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। मामला 4 जून 2026 का है। जयनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि अंबिकापुर से मनेन्द्रगढ़ की ओर जा रही नीलम बस क्रमांक CG15 EH 4301 में कुछ लोग बोरी और कपड़े की गठरियों में गांजा लेकर जा रहे हैं, सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सिलफिली के पास बस को रोककर तलाशी ली,बस में चालक सहित छह महिलाएं मिलीं,तलाशी के दौरान बस की सीटों के नीचे, ऊपर और स्लीपर सीटों में कुल 53 बोरियों तथा कपड़े और साड़ियों में बंधी गठरियों से गांजा बरामद किया गया,इन गठरियों के ऊपर झाड़ू भी बांधे गए थे,पुलिस के अनुसार कुल 848 किलो 650 ग्राम गांजा, करीब 4 करोड़ 24 लाख रुपये कीमत का, बरामद हुआ। इसके अलावा 478 नग झाड़ू, गांजा परिवहन में इस्तेमाल बस और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया,मामले में गोल झरनी, उनर बाई,रूजीना,अटरिया, अन्टबाई,पेहरी बाई और बस चालक छोटन राम के खिलाफ अपराध क्रमांक 140/2026 के तहत धारा 20(बी)(II)(सी) और 29 एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था,मामले में कुछ आरोपी गिरफ्तारी से बच रहे थे। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने प्रकरण की इण्ड-टू-इण्ड विवेचना करते हुए फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे,इसी क्रम में जयनगर पुलिस ने तकनीकी संसाधनों की सहायता से फरार आरोपी जाजोन पारधी पिता कदम पारधी,उम्र 39 वर्ष, निवासी खिरहनी,थाना बरही, जिला कटनी (मध्यप्रदेश) के संबंध में जानकारी जुटाई, उसके मध्यप्रदेश के कटनी जिले में होने की पुष्टि के बाद पुलिस टीम वहां रवाना हुई। ग्राम खिरहनी बरही में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया, पुलिस ने आरोपी को स्थानीय न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया और उसे थाना जयनगर लाया गया, पूछताछ के बाद आरोपी द्वारा अपराध में संलिप्तता स्वीकार किए जाने की बात पुलिस ने कही है, इसके बाद 24 अगस्त 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया, पुलिस का कहना है कि मामले में इण्ड-टू-इण्ड विवेचना लगातार जारी है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कहां से लाया गया था,इसकी अंतिम मंजिल क्या थी और पूरे नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं, कार्रवाई में थाना प्रभारी जयनगर अमित गुप्ता,एसआई सोहन सिंह,प्रधान आरक्षक रजिन्दर एक्का, आरक्षक जितेन्द्र साहू और हरि सिंह की भूमिका रही, मामले में बड़ी मात्रा में गांजा और परिवहन में प्रयुक्त बस की बरामदगी के बाद पुलिस की जांच अब इसके पूरे नेटवर्क तक पहुंचने पर केंद्रित है।

लक्ष्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग की शिकायतों की जांच के लिए तीन सदस्यीय दल गठित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर के लक्ष्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अध्ययनरत बीएससी नर्सिंग एवं जीएनएम के छात्र-छात्राओं की शिकायतों की जांच के लिए संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया है। विधायक राम कुमार टोप्पो की अनुशंसा के बाद कॉलेज के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच दल में शासकीय जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र अंबिकापुर की प्राचार्य शांता सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। पब्लिक हेल्थ ट्यूटर नील कुसुम तिर्की और सहायक ग्रेड-2 मंजूला यादव को सदस्य नियुक्त किया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने जांच दल को शिकायतों में उल्लेखित सभी तथ्यों की नियमानुसार सूक्ष्मता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच पूरी कर दल को अपने स्पष्ट अभिमत के साथ पांच कार्यालयीन दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

बिस्तर पर डंडा करैत ने डसा,महिला की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पस्ता थाना क्षेत्र के ग्राम अतौरीडौरा में जहरीले सांप के डसने से 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला रात में पति के साथ खाट पर सो रही थी। इसी दौरान डंडा करैत ने उसकी कलाई में डस लिया। ग्राम अतौरीडौरा निवासी बसंती चेरवा पति जीतन (48) सोमवार रात पति के साथ सो रही थी। रात करीब 1.30 बजे उसे कलाई में किसी चीज के काटने का एहसास हुआ। नींद खुलने पर उसने पति को जगाकर सांप के काटने की बात बताई। पति ने टॉर्च जलाकर देखा तो बिस्तर पर डंडा करैत सांप पड़ा था। सांप को देखते ही पति ने डंडे से उसे मार दिया और ढंककर रख दिया। इसके बाद पत्नी को निजी वाहन से प्रतापपुर अस्पताल ले गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया। एंबुलेंस से महिला को अंबिकापुर लाया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

कुदरगढ़ रोपवे पर फिर सवाल

घोषणा, अनुबंध और भूमिपूजन के बाद भी निर्माण क्यों अधूरा?

रोपवे बना 'सपनों का सफर'! घोषणा,अनुबंध और भूमिपूजन के बाद भी श्रद्धालुओं का इंतजार

पहले बिना ट्रस्ट पर आर्थिक बोझ के रोपवे लगाने का प्रस्ताव,फिर बदला मॉडल करोड़ों की राशि और अनुबंध के बीच अब निर्माण की गति पर उठ रहे सवाल

एक साल पहले 'घटती घटना' ने चेताया था...अब जमीन पर निर्माण की बारी

8 जून 2025 को उठे सवाल आज भी कायम, अनुबंध से भूमिपूजन तक पहुंची परियोजना के बाद भी रोपवे का इंतजार

पहले समझौता बदला,फिर टेंडर और अनुबंध हुआ, अब निर्माण की रफ्तार पर सवाल, आखिर कब पूरा होगा कुदरगढ़ रोपवे?

'घटती-घटना' की पुरानी खबर से वर्तमान तक, तब समझौता बदलने पर सवाल था, अब करोड़ों की परियोजना की प्रगति पर नजर

वर्चस्व से विकास तक उलझा कुदरगढ़ रोपवे? पुरानी खबर के सवालों के बाद अब करोड़ों की परियोजना की जमीनी हकीकत पर नजर

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/कुदरगढ़,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कुदरगढ़मां कुदरगढ़ी का दरबार केवल सूरजपुर जिले ही नहीं, बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के प्रमुख आस्था केंद्रों में गिना जाता है,पहाड़ी पर विराजमान मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लंबी चढ़ाई और सैकड़ों सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं,सामान्य श्रद्धालु तो किसी तरह माता के दरबार तक पहुंच जाते हैं,लेकिन बुजुर्गों,दिव्यांगों,छोटे बच्चों और शारीरिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं के लिए यह चढ़ाई आज भी बड़ी चुनौती है,यही वजह है कि कुदरगढ़ में रोपवे निर्माण की मांग वर्षों से उठती रही है। रोपवे को लेकर लंबे समय तक सरकार और ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संसाधनों की रही,इसी बीच ऐसा प्रस्ताव सामने आया,जिसमें बिना सरकारी अथवा ट्रस्ट की बड़ी राशि खर्च किए निजी कंपनी द्वारा रोपवे निर्माण किए जाने की बात कही गई,कंपनी अपनी पूंजी से निर्माण करती और निर्धारित अवधि तक रोपवे संचालन से प्राप्त किराये के माध्यम से अपनी लागत तथा रखरखाव का खर्च निकालती,इसके बाद रोपवे को ट्रस्ट को सौंपे जाने अथवा नए समझौते के विकल्प की बात सामने आई,इस प्रस्ताव को लेकर उम्मीद जगी कि वर्षों से लंबित श्रद्धालुओं की सुविधा आखिरकार बिना सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ डाले पूरी हो सकेगी,मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस दिशा में अनुबंध/एमओयू की प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी भी सामने आई, इसके बाद लोगों को लगा कि अब कुदरगढ़ की पहाड़ी पर रोपवे केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देगा,लेकिन इसके बाद परियोजना की दिशा बदल गई।

पहले मॉडल पर क्यों लगा विराम?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक कंपनी अपने खर्च पर रोपवे लगाने को तैयार थी,तब उस व्यवस्था को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्या प्रस्तावित अनुबंध की शर्तें ट्रस्ट के हित में नहीं थीं? यदि नहीं थीं तो इसकी कमियां क्या थीं? और यदि शर्तें स्वीकार्य थीं तो बाद में उसे बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन्हीं सवालों ने कुदरगढ़ रोपवे परियोजना को लेकर विवाद को जन्म दिया है, ट्रस्ट से जुड़े लोगों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार बाद में रोपवे निर्माण की प्रक्रिया को दूसरे मॉडल में ले जाया गया, इसके बाद दूसरी कंपनी के साथ अनुबंध किए जाने और अग्रिम राशि दिए जाने की चर्चा सामने आई,दावा किया जा रहा है कि लगभग दो करोड़ रुपये की अग्रिम राशि भी दी जा चुकी है, यहीं से परियोजना का मामला और गंभीर हो जाता है।

दो करोड़ की अग्रिम राशि के बाद भी काम शुरू क्यों नहीं?

यदि वास्तव में ट्रस्ट द्वारा करीब दो करोड़ रुपये की अग्रिम राशि संबंधित कंपनी को दी जा चुकी है,तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उस भुगतान के बाद जमीन पर काम कितना आगे बढ़ा? एग्रीमेंट में यदि निर्माण की समय-सीमा निर्धारित थी, तो वह समय-सीमा क्या थी? क्या कंपनी ने समय पर कार्य प्रारंभ किया? यदि नहीं किया तो ट्रस्ट ने अब तक क्या कार्रवाई की? क्या अनुबंध में विलंब के लिए जुर्माने अथवा अनुबंध समाप्त करने का प्रावधान है? इन सवालों का जवाब ट्रस्ट के वित्तीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकता है, स्थानीय लोगों का कहना है कि रोपवे की घोषणा और निर्माण की प्रक्रिया को लेकर कई बार उम्मीद जगी,लेकिन परियोजना को जमीन पर गति नहीं मिल सकी। श्रद्धालुओं को आज भी उसी पहाड़ी रास्ते और सीढ़ियों से होकर माता के दरबार तक पहुंचना पड़ रहा है।

पांच करोड़ का अनुबंध, तीन करोड़ के भुगतान की चर्चा-

परियोजना से जुड़े सूत्रों के अनुसार जिस कंपनी के साथ नया समझौता हुआ, उसके साथ लगभग पांच करोड़ रुपये के अनुबंध की चर्चा है, इसमें से करीब दो करोड़ रुपये अग्रिम भुगतान किए जाने और शेष लगभग तीन करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर विवाद अथवा असहमति की स्थिति होने की बात कही जा रही है, हालांकि इस राशि और भुगतान की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि संबंधित दस्तावेजों से होना आवश्यक है, यदि यह जानकारी सही है तो सवाल केवल रोपवे निर्माण में देरी का नहीं, बल्कि सार्वजनिक/ट्रस्ट राशि के वित्तीय प्रबंधन का भी है, जब कंपनी को दो करोड़ रुपये अग्रिम दिए गए, तो उसके बाद निर्माण कार्य क्यों नहीं बढ़ा? क्या शेष राशि का भुगतान नहीं होने के कारण काम रुका है? यदि ऐसा है तो भुगतान की शर्तें किसने तय की थीं? क्या ट्रस्ट के पास परियोजना को पूरा कराने के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था थी? और सबसे महत्वपूर्ण- यदि अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं होतीं तो अग्रिम दो करोड़ रुपये की सुरक्षा कैसे होगी? क्या दो करोड़ रुपये भी डूबने के खतरे में? यही वह सवाल है जिसने ट्रस्ट के आजीवन सदस्यों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है, यदि अनुबंध की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है और काम पूरा नहीं होता, तो अग्रिम राशि का क्या होगा? क्या कंपनी राशि वापस करेगी? क्या ट्रस्ट उसे जब्त कर सकता है? क्या बैंक गारंटी अथवा सिक्योरिटी डिपॉजिट की व्यवस्था है? क्या अनुबंध में अग्रिम भुगतान की वापसी का स्पष्ट प्रावधान है? इन सवालों का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि यदि ट्रस्ट की राशि किसी परियोजना में अग्रिम के रूप में दी गई है तो वह केवल ट्रस्ट के पदाधिकारियों का मामला नहीं है, यह श्रद्धालुओं और उस धार्मिक संस्था से जुड़ा वित्तीय प्रश्न है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी धाम की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करना है।

नेताओं के वर्चस्व की चर्चा ने बढ़ाई राजनीतिक गर्मी- कुदरगढ़ रोपवे को लेकर एक और चर्चा स्थानीय स्तर पर लगातार होती रही है, सूत्रों का दावा है कि परियोजना को लेकर ट्रस्ट और स्थानीय राजनीतिक प्रभाव से जुड़े लोगों के बीच वर्चस्व का सवाल भी सामने आया,यह भी चर्चा रही कि जिस समय बिना ट्रस्ट की बड़ी राशि खर्च किए रोपवे लगाने का मॉडल तैयार हुआ था, उस समय योजना का श्रेय कुछ लोगों को मिलने लगा। इसके बाद परियोजना के मॉडल में बदलाव की स्थिति बनी,हालांकि वर्चस्व की लड़ाई या किसी व्यक्ति को निजी/आंतरिक लाभ पहुंचाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए ट्रस्ट की बैठकों की कार्यवाही, प्रस्ताव,अनुबंध और निर्णय प्रक्रिया सामने आना जरूरी है,यदि वास्तव में केवल राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत श्रेय की प्रतिस्पर्धा के कारण किसी ऐसी योजना को बदला गया,जिससे ट्रस्ट पर आर्थिक बोझ बढ़ा,तो यह गंभीर प्रशासनिक प्रश्न होगा, लेकिन यदि पहले प्रस्ताव को तकनीकी,कानूनी अथवा आर्थिक कारणों से निरस्त किया गया था,तो ट्रस्ट को उन कारणों को सार्वजनिक करना चाहिए।

यदि पहला मॉडल गलत था तो मुख्यमंत्री के सामने अनुबंध क्यों?-इस पूरे घटनाक्रम में सबसे असहज करने वाला प्रश्न मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए समझौते को लेकर है,यदि किसी मॉडल को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया,उस पर सहमति बनी और अनुबंध/एमओयू की प्रक्रिया आगे बढ़ी,तो बाद में उसमें परिवर्तन क्यों किया गया? क्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई परियोजना और बाद में अपनाई गई परियोजना में कोई अंतर था? क्या ट्रस्ट की बैठक में पुराने प्रस्ताव को निरस्त करने का विधिवत प्रस्ताव पारित हुआ? क्या पुराने समझौते को खत्म करने से किसी पक्ष पर वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व आया? यदि ये सभी निर्णय नियमों के अनुसार लिए गए तो ट्रस्ट को इन्हें सार्वजनिक करने में संकोच नहीं होना चाहिए।

कुदरगढ़ के श्रद्धालुओं को आखिर कब मिलेगी सुविधा?-कुदरगढ़ में हर साल नवरात्रि और अन्य अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं,भीड़ के समय पहाड़ी पर चढ़ना और उतरना अपने आप में चुनौती बन जाता है,बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की परेशानी और बढ़ जाती है,ऐसे में रोपवे कोई विलासिता की परियोजना नहीं,बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है,लेकिन जिस सुविधा के लिए वर्षों से मांग उठ रही है, उसके निर्माण में यदि घोषणा से लेकर अनुबंध और अनुबंध से लेकर भुगतान तक बार-बार बदलाव होता रहेगा,तो परियोजना का भविष्य स्वाभाविक रूप से सवालों के घेरे में आएगा।

दैनिक घटती घटना ने पहले भी उठाया था सवाल- कुदरगढ़ रोपवे को लेकर दैनिक घटती घटना ने 8 जून 2025 को भी प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, उस समय प्रकाशित खबर की मुख्य हेडिंग थी- 'क्या मां के दरबार कुदरगढ़ में रोप-वे निर्माण में दो नेता के वर्चस्व की लड़ाई डाल सालती है खलल?' खबर में ट्रस्ट की बैठक में रोपवे निर्माण के लिए ठेकेदार के साथ हुए अनुबंध को निरस्त करने की तैयारी,श्रद्धालुओं की सुविधा के बजाय ट्रस्ट की कमाई को लेकर उठ रहे सवाल, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुए अनुबंध और बाद में उसे निरस्त करने की तैयारी जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए थे, उस पूर्व प्रकाशित रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया था कि जब एक कंपनी अपने खर्च पर रोपवे लगाने को तैयार थी और वह निर्धारित अवधि तक रोपवे से मिलने वाले किराये से अपनी लागत तथा रखरखाव खर्च निकालने वाली थी,तब उस मॉडल को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? रिपोर्ट में यह आरोप/चर्चा भी सामने रखी गई थी कि ट्रस्ट के भीतर दो प्रभावशाली पक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के कारण परियोजना प्रभावित हो रही है, हालांकि उस समय भी यह स्पष्ट किया गया था कि किसी व्यक्ति को निजी या आंतरिक लाभ पहुंचाने संबंधी दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

उसी खबर में एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था- जब ट्रस्ट को फायदा नहीं हो रहा था तो फिर उन्होंने अनुबंध क्यों किया? रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अनुबंध की तस्वीर सार्वजनिक होने के बाद श्रद्धालुओं को लगा था कि रोपवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया है,लेकिन कुछ ही समय बाद अनुबंध को लेकर आपत्ति और उसे निरस्त करने की चर्चा सामने आने लगी। इसी कारण यह सवाल उठाया गया था कि यदि समझौता ट्रस्ट के हित में नहीं था तो उसे पहले स्वीकार क्यों किया गया और यदि वह उचित था तो बाद में उसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? पूर्व प्रकाशित खबर में ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष भीमसेन अग्रवाल द्वारा कुदरगढ़ के विकास के लिए रोपवे की योजना आगे बढ़ाने की भूमिका का भी उल्लेख किया गया था,वहीं ट्रस्ट अध्यक्ष रामसेवक पैकरा के नेतृत्व में बाद की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए यह पूछा गया था कि क्या परियोजना को लेकर श्रेय और वर्चस्व की राजनीति श्रद्धालुओं की सुविधा पर भारी पड़ रही है, इन आरोपों की पुष्टि के लिए ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाही और संबंधित दस्तावेज जरूरी हैं।

दैनिक घटती घटना में प्रकाशित खबर अब इस पूरे मामले की टाइमलाइन का अहम हिस्सा-उस

संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकाशन
घटती घटना
सूरजपुर-कोरबा-सरगुजा-समाचार
अम्बिकापुर, रविवार 08 जून 2025
6

क्या मां के दरबार कुदरगढ़ में रोप-वे निर्माण में दो
नेता के वर्जस्व की लड़ाई डाल सालती है खलल?

ट्रस्ट की बैठक में लिया गया था निर्णय रोप-वे निर्माण के लिए,ठेकेदार के बीच हो गया था अनुबंध अब उसे निरस्त करने की तैयारी

ट्रस्ट को श्रद्धालुओं की सुविधा की फिक्र नहीं कमाई की फिक्र ज्यादा?

मुख्यमंत्री के उपस्थिति में हुआ था रोप-वे लगाने का अनुबंध पर अब निरस्त करने की तैयारी क्यों?

इंग्लिश में अनुबंध हुआ था साइन नहीं पढ़ पाए ट्रस्ट के लोगःसूत्र

अब इंग्लिश नहीं समझ में आता था तो फिर हिंदी में अनुबंध क्यों नहीं बनवाया, ट्रस्ट व ठेकेदार के बीच होने वाले अनुबंध को...

खबर में उठाए गए सवालों के बाद सामने आए नए घटनाक्रम यह जानने का आधार देते हैं कि क्या पहले उठाए गए संदेह दूर हुए या परियोजना की प्रक्रिया ने नए सवाल खड़े कर दिए,इसलिए अब ट्रस्ट को पुराने और वर्तमान दोनों समझौतों की शर्तें सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए,उस समय भी मूल सवाल यही था कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वर्षों से प्रस्तावित रोपवे आखिर कब जमीन पर उतरेगा,आज स्थिति यह है कि परियोजना के विभिन्न चरणों से संबंधित घोषणाएं, अनुबंध और भूमिपूजन जैसी प्रक्रियाएं सामने आने के बावजूद वास्तविक निर्माण की स्थिति को लेकर सवाल कायम हैं,यही कारण है कि इस बार सवाल को केवल आरोपों तक सीमित रखने के बजाय दस्तावेजों के आधार पर जवाब मांगना जरूरी है,अप्रैल 2025 की सरकारी घोषणा, अगस्त 2025 की निविदा और अनुबंध प्रक्रिया, सितंबर 2025 का भूमिपूजन और फरवरी 2026 में बजट प्रावधान–इन सभी घटनाक्रमों के बीच परियोजना की वास्तविक प्रगति का एक स्पष्ट टाइमलाइन ट्रस्ट और प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए,विशेष रूप से यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि 13 माह की बताई गई निर्माण अवधि किस तारीख से प्रभावी हुई,कार्यारंभ की औपचारिक तारीख क्या है और अब तक कितने प्रतिशत निर्माण का लक्ष्य पूरा हुआ है, अगस्त 2025 की रिपोर्ट में 13 माह की समयसीमा और अग्रिम राशि के बाद 21 दिन में औपचारिक कार्यारंभ की शर्त बताई गई थी।

ट्रस्ट को सामने रखना चाहिए पूरा हिसाब- कुदरगढ़ ट्रस्ट यदि इस विवाद को समाप्त करना चाहता है तो उसे केवल बयान जारी करने के बजाय पूरा दस्तावेजी हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए, ट्रस्ट को स्पष्ट करना चाहिए–

- पहलाः शुरुआती रोपवे प्रस्ताव में कंपनी की भूमिका क्या थी?
- दूसराः कंपनी अपने खर्च पर निर्माण करने को तैयार थी या नहीं?
- तीसराः उस प्रस्ताव को क्यों निरस्त किया गया?
- चौथाः नए ठेकेदार का चयन किस प्रक्रिया से हुआ?
- पांचवांः कुल अनुबंध राशि कितनी है?
- छठाः अग्रिम के रूप में कितनी राशि दी गई?
- सातवांः दो करोड़ रुपये के भुगतान का स्रोत और स्वीकृति किस बैठक में हुई?
- आठवांः काम शुरू करने की अंतिम तारीख क्या थी?
- नौवांः अब तक काम शुरू नहीं होने पर कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?
- दसवांः यदि अनुबंध समाप्त होता है तो अग्रिम राशि की वापसी कैसे होगी?

अब सवाल केवल रोपवे का नहीं,जवाबदेही का है- कुदरगढ़ के श्रद्धालुओं को अब नई घोषणा नहीं चाहिए। उन्हें तारीख चाहिए, उन्हें यह जानना है कि रोपवे कब बनेगा, किस कंपनी द्वारा बनेगा, कितने पैसे में बनेगा और इसके निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होगी, यदि पहले ऐसी व्यवस्था थी जिसमें ट्रस्ट को अपनी राशि खर्च नहीं करनी पड़ती और निजी कंपनी अपने निवेश से परियोजना खड़ी करने को तैयार थी, तो उस मॉडल को बदलने का कारण सामने आना चाहिए, और यदि वर्तमान व्यवस्था आर्थिक और तकनीकी रूप से बेहतर है, तो फिर निर्माण में देरी क्यों? कुदरगढ़ में रोपवे का सपना अब घोषणा, अनुबंध और बैठकों के बीच नहीं अटकना चाहिए, मां के दरबार तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु वर्षों से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार लोग भी इस परियोजना की फाइल की सीढ़ियां चढ़ते-उतरते रहेंगे, या कभी रोपवे की केबिन सचमुच पहाड़ी पर चलती दिखाई देगी?

बड़े सवाल...

- बिना ट्रस्ट पर बड़ा आर्थिक बोझ डाले रोपवे लगाने का प्रस्ताव क्यों बदला गया?
- पुराने समझौते को निरस्त करने का वास्तविक कारण क्या था?
- नए अनुबंध में कितनी राशि तय हुई और अब तक कितनी राशि दी गई?
- दो करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की सुरक्षा क्या है?
- निर्धारित समय में काम शुरू नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है?
- क्या अनुबंध में समय-सीमा और पेनल्टी की शर्तें हैं?
- यदि समझौता समाप्त हुआ तो अग्रिम राशि वापस मिलेगी या नहीं?
- श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी परियोजना आखिर कब पूरी होगी?
- और सबसे बड़ा सवाल–कुदरगढ़ रोपवे में बार-बार बदलते फैसलों का अंतिम लाभ किसे और आर्थिक जोखिम किसे उठाना पड़ेगा?

कटगोड़ी में कांवड़ यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजा पूरा क्षेत्र

सनातन गौरव मंच और बाबा मानस परिवार के आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने की सहभागिता,शिवगुफा कछार से सिद्धेश्वर मंदिर तक निकली विशाल कांवड़ यात्रा

-राजन पाण्डेय-

सोनहत/कटगोड़ी,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

अंतिम सावन सोमवार के पावन अवसर पर कटगोड़ी में भगवान भोलेनाथ की भक्ति और आस्था का विराट स्वरूप देखने को मिला,सनातन गौरव मंच एवं बाबा मानस परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हाथों में कांवड़,भगवा ध्वज और जुबां पर हर-हर महादेव तथा बोल बम के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं ने शिवगुफा कछार से सिद्धेश्वर मंदिर कटगोड़ी तक यात्रा की। कांवड़ यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र शिवभक्ति के रंग में रंगा नजर आया, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण कई स्थानों पर सड़कें पूरी तरह भर गई,जगह-जगह स्थानीय लोगों ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया,अंतिम सावन सोमवार होने के कारण इस धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।

शिवगुफा कछार से सिद्धेश्वर मंदिर तक निकली विशाल यात्रा

विशाल कांवड़ यात्रा का शुभारंभ शिवगुफा कछार से हुआ,सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन स्थल पर पहुंचने लगे थे,कांवड़ लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना की और इसके बाद सामूहिक रूप से सिद्धेश्वर मंदिर कटगोड़ी के लिए रवाना हुए, श्रद्धालुओं के हाथों में भगवा ध्वज और कांवड़ दिखाई दे रही थी, पूरे यात्रा मार्ग में हर-हर महादेव,बोल बम और भगवान शिव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा,युवाओं के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं,बुजुर्ग और बच्चे भी यात्रा में शामिल हुए,आयोजकों द्वारा यात्रा को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था की गई थी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया।

हजारों श्रद्धालुओं से पटा सड़क मार्ग, घंटों रहा यातायात प्रभावित

कांवड़ यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ का असर सड़क यातायात पर भी दिखाई दिया,शिवगुफा कछार से कटगोड़ी तक का पूरा मार्ग श्रद्धालुओं से पट गया,बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों के एक साथ आगे बढ़ने के कारण कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और जाम जैसी स्थिति निर्मित हुई, हालांकि यातायात प्रभावित होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। लोग भक्ति गीतों और भगवान शिव के जयघोष के साथ आगे बढ़ते रहे। यात्रा मार्ग के आसपास मौजूद लोगों ने भी श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया,कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था मानो पूरा कटगोड़ी क्षेत्र भगवान शिव की भक्ति में डूब गया हो।

शिव तांडव की मनमोहक प्रस्तुति ने बांधा समां

कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव की महिमा पर आधारित शिव तांडव की विशेष प्रस्तुति आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही, कलाकारों द्वारा प्रस्तुत शिव तांडव ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, शिव के स्वरूप, उनकी महिमा और शक्ति को दर्शाती प्रस्तुति के दौरान श्रद्धालु भावविभोर नजर आए,संगीत और धार्मिक प्रस्तुतियों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कई श्रद्धालु प्रस्तुति के दौरान झूमते और भगवान शिव के जयकारे लगाते दिखाई दिए।

रंगारंग प्रस्तुतियों ने बढ़ाया आयोजन का आकर्षण

कांवड़ यात्रा के साथ कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया। भक्ति संगीत,धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने आयोजन को और आकर्षक बना दिया,श्रद्धालुओं ने इन प्रस्तुतियों का आनंद लिया,आयोजन में धार्मिक आस्था के साथ-साथ स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं की भी झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान लगातार भगवान शिव के जयकारे गूंजते रहे।

महिलाओं की बड़ी भागीदारी बनी विशेष आकर्षण-कांवड़ यात्रा में महिलाओं की बड़ी संख्या में सहभागिता विशेष रूप से देखने को मिली,बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने कांवड़ यात्रा में शामिल होकर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त की,महिलाएं भक्ति गीतों और जयघोष के साथ यात्रा में आगे बढ़ती नजर आईं,आयोजकों ने महिलाओं की इस सहभागिता को आयोजन की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में मातृशक्ति की भागीदारी समाज की एकजुटता और सनातन परंपराओं के प्रति आस्था को दर्शाती है।

जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों ने भी की सहभागिता-कांवड़ यात्रा में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी सहभागिता रही, कार्यक्रम में जिला एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा,आशा देवी,जिला पंचायत सदस्य शिवकुमारी सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी ईश्वर राजवाड़े,राजाराम राजवाड़े तथा अन्य जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए,जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धालुओं के साथ यात्रा में सहभागिता की और भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए आयोजकों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं।

मनोज साहू बोले—सोनहत के स्वाभिमान की रक्षा महादेव करेंगे-कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सनातन गौरव मंच के संयोजक मनोज साहू ने कहा कि भगवान महादेव सोनहत के स्वाभिमान और मान-सम्मान की रक्षा करेंगे,उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सम्मान और स्वाभिमान के लिए समाज को एकजुट होकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए,उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराएं हमारी पहचान हैं,ऐसे धार्मिक आयोजनों के माध्यम से समाज में आपसी एकता, भाईचारा,सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक भावना को मजबूती मिलती है,मनोज साहू ने कांवड़ यात्रा में शामिल मातृशक्ति,युवाओं और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के लिए आभार व्यक्त किया तथा आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया।

नीलेश साहू ने श्रद्धालुओं का जताया आभार-बाबा मानस परिवार के संयोजक नीलेश साहू ने कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया,उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भारी सहभागिता ने आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया,उन्होंने कहा कि अंतिम सावन सोमवार के अवसर पर आयोजित इस यात्रा में जिस तरह से लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की,वह भगवान शिव के प्रति क्षेत्रवासियों की गहरी आस्था को दर्शाता है।

सहयोगियों के प्रति भी जताया आभार

आयोजकों ने कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया,सनातन गौरव मंच के संयोजक मनोज साहू ने कहा कि आयोजन को सफल बनाने में मातृशक्ति,युवा,सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि,श्रद्धालु और विभिन्न स्तरों पर सहयोग करने वाले लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही,उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए सामूहिक सहयोग आवश्यक होता है और सभी के सहयोग से ही कांवड़ यात्रा भव्य स्वरूप ले सकी।

कटगोड़ी में दिखा आस्था और एकजुटता का विराट स्वरूप

अंतिम सावन सोमवार के अवसर पर कटगोड़ी में निकली विशाल कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकजुटता का भी प्रतीक बनी,हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी,भगवा ध्वजों की कतार,कांवड़ यात्रियों का उत्साह और हर-हर महादेव के गूंजते जयघोष ने पूरे क्षेत्र को शिवमय कर दिया,शिवगुफा कछार से सिद्धेश्वर मंदिर तक निकली इस यात्रा ने यह संदेश दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति लोगों की आस्था आज भी मजबूत है,महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सहभागिता ने आयोजन को और व्यापक बना दिया, अंतिम सावन सोमवार पर आयोजित यह कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए केवल धार्मिक यात्रा नहीं रही, बल्कि आस्था, सनातन परंपरा, सामाजिक सहभागिता और सामूहिक भक्ति का यादगार अवसर बनकर सामने आई।

सहकारी समितियों में खाद-बीज और ऋण वितरण की कांग्रेस ने ली जानकारी

पटना और गिरजापुर समितियों का संयुक्त निरीक्षण,किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के दिए निर्देश

-संवाददाता-

पटना,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिला कांग्रेस कमेटी बैकुंठपुर-कोरिया के निर्देशानुसार सोमवार को ब्लॉक एवं मंडल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पटना क्षेत्र के अधीन आने वाली आदिम जाति सहकारी सेवा समिति पटना एवं गिरजापुर समिति का संयुक्त निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान समितियों में उपलब्ध रासायनिक खाद के स्टॉक, एग्री-स्टेट तथा किसानों को दिए जा रहे ऋण वितरण सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। निरीक्षण ब्लॉक अध्यक्ष बिहारी लाल राजवाड़े एवं मंडल अध्यक्ष परेश कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने समिति प्रबंधकों से खाद के उपलब्ध स्टॉक और किसानों को वितरण की स्थिति के संबंध में जानकारी ली, साथ ही ऋण वितरण तथा किसानों से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी प्राप्त की गई।

किसानों को परेशानी न हो, दिए निर्देश-निरीक्षण के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के किसानों को खाद, ऋण अथवा अन्य आवश्यक सहकारी सुविधाएं प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसानों की जरूरत के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया,पदाधिकारियों ने कहा कि कृषि कार्य के दौरान किसानों के लिए समय पर खाद और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण है, ऐसे में समितियों में स्टॉक की स्थिति और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी बनाए रखने की जरूरत है।

समितियों की व्यवस्था पर रखी नजर

निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेताओं ने समितियों में उपलब्ध सामग्री और किसानों से जुड़े कार्यों की जानकारी लेते हुए संबंधित प्रबंधकों से आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की, उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां किसानों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं, इसलिए यहां पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से काम होना चाहिए, कांग्रेस पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि किसानों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी या असुविधा न हो,इसके लिए समिति स्तर पर समय-समय पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जानी चाहिए,निरीक्षण के दौरान वसीम खान, आशीष अग्रहरी,सुजीत सोनी, सागर शर्मा एवं अमित पांडे सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जाएगी और उनकी समस्याओं को संबंधित स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

टेट के खिलाफ शिक्षकों का शंखनाद,सूरजपुर में गूंजी 'टेट मुक्ति' की आवाज

शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने निकाली रैली, पांच सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-

सूरजपुर,25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, वेतन विसंगति, पुरानी सेवा अवधि की गणना,बीएड ब्रिज कोर्स तथा भर्ती-पदोन्नति नियमों से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर सोमवार, 25 अगस्त को जिला मुख्यालय सूरजपुर में शिक्षकों ने 'टेट मुक्ति रैली' निकालकर अपनी आवाज बुलंद की, शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल हुए, शिक्षकों ने हाथों में मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर नारेबाजी की और शासन से लंबित मुद्दों पर ठोस एवं निर्णायक पहल की मांग की। रैली के बाद शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं संचालक के नाम जिला कलेक्टर को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों के कारण उनके सेवा, वेतन और भविष्य से जुड़े विषय प्रभावित हो रहे हैं। सरकार से इन मामलों का समयबद्ध समाधान करने की मांग की गई।

टेट की बाध्यता बना सबसे बड़ा मुद्दा- रैली का प्रमुख मुद्दा शिक्षक पात्रता परीक्षा की बाध्यता रहा, शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के बीच टेट को लेकर नौकरी और सेवा सुरक्षा संबंधी चिंता बनी हुई है, संगठन ने सरकार से मांग की कि सेवारत शिक्षकों की परिस्थितियों और उनकी लंबी सेवा को ध्यान में रखते हुए टेट के संबंध में स्पष्ट, व्यावहारिक और न्यायसंगत समाधान निकाला जाए, शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से विद्यालयों में सेवाएं देकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाले शिक्षकों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

पुरानी सेवा गणना और वेतन विसंगति का मुद्दा भी उठा-रैली में शिक्षकों ने पुरानी सेवा अवधि की गणना का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया, शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद पुरानी सेवा अवधि का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाने से उनके आर्थिक और सेवा संबंधी हित प्रभावित हो रहे हैं,इसके साथ ही शिक्षकों ने केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप वेतन व्यवस्था तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग रखी, उनका कहना है कि वेतन संबंधी विसंगतियों के समाधान से शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ उनके मनोबल पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

बीएड ब्रिज कोर्स पर शीघ्र निर्णय की मांग- ज्ञापन में बीएड ब्रिज कोर्स से संबंधित विषय को भी शामिल किया गया। संगठन के अनुसार बड़ी संख्या में शिक्षक लंबे समय से इस संबंध में शासन स्तर पर स्पष्ट निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, शिक्षकों ने सरकार से प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।

भर्ती-पदोन्नति नियमों में बदलाव की मांग- शिक्षकों ने भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 में मौजूद असंतुलन और विसंगतियों को दूर करने की मांग भी रखी। शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना है कि शिक्षक संवर्ग से जुड़े नियम स्पष्ट, व्यावहारिक और न्यायसंगत होने चाहिए, ताकि भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया में अनावश्यक विवाद तथा असमंजस की स्थिति पैदा न हो।

शिक्षकों ने कहा...मांगों पर चाहिए ठोस निर्णय-शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक केदार जैन,वीरेंद्र दुबे एवं संजय शर्मा के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में टेट मुक्ति रैली आयोजित की गई, सूरजपुर में जिला संचालक सचिन त्रिपाठी, यादवेंद्र दुबे एवं भूपेश सिंह ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से सेवा, सम्मान, वेतन और भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता और शिक्षकों के मनोबल से भी है, शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि 25 अगस्त की टेट मुक्ति रैली उनके लंबित मुद्दों को शासन तक मजबूती से पहुंचाने का सामूहिक प्रयास है,संगठन ने सरकार से पांच सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार कर समयबद्ध और सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई, शिक्षकों ने कहा कि मांगों का समाधान नहीं होने की स्थिति में वे लोकतांत्रिक और संगठित तरीके से अपनी आवाज आगे भी उठाते रहेंगे।

CMYK

लॉकअप 2 में गौरव खन्ना की एंट्री के बाद टूट गई थीं आकांक्षा चमोला

आकांक्षा चमोला ने हाल ही में बताया कि गौरव खन्ना के लॉकअप 2 में एंट्री के बाद वह परेशान हो गई थीं। उन्होंने फराह खान से बातचीत के दौरान गौरव की एंट्री के बारे में बात की और ये भी खुलासा किया कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो वो परेशान हो गई थीं।

आकांक्षा चमोला पिछले दिनों नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप 2 को लेकर चर्चा में रहीं, जहां उन्होंने बैक टू बैक कई खुलासे किए। शो खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी शो के कंटेस्टेंट्स और खासतौर पर आकांक्षा चमोला की निजी जिंदगी के चर्चे खत्म नहीं हो रहे हैं। शो के दौरान आकांक्षा ने बताया था कि वह और गौरव खन्ना एक साल से अलग रह रहे हैं और तलाक लेने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने अपने बाइसेक्शुअल होने का खुलासा किया। शो की शुरुआत में आकांक्षा काफी एनर्जेटिक लग रही थीं, लेकिन बीच में उनका गेम काफी प्रभावित दिखा। शो में गौरव खन्ना भी आकांक्षा से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद आकांक्षा काफी निराश हो गई थीं। अब उन्होंने रियेलिटी शो और अपने गेम से जुड़े कई खुलासे किए हैं।

आकांक्षा चमोला ने किया चौंकाने वाला खुलासा

दरअसल, लॉकअप 2 की होस्ट और डायरेक्टर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ हाल ही में आकांक्षा चमोला के पेरेंट्स के घर पहुंचीं,जहां आकांक्षा ने लॉकअप 2 में गौरव खन्ना की एंट्री के बारे में बात की। गौरव,शो में अपनी पत्नी को सपोर्ट करने पहुंचे थे,लेकिन उनके जाने के बाद आकांक्षा काफी परेशान सी लगीं। आकांक्षा ने बताया कि जब गौरव उनसे मिलने आए तो उन्होंने उन्हें बताया कि शो के बाहर क्या-क्या हो रहा है। गौरव ने जब आकांक्षा को बाहर की दुनिया की जानकारी दी तो वह परेशान हो गईं और इसका असर उनके गेम पर भी हुआ।

आकांक्षा ने किया बड़ा खुलासा

आकांक्षा चमोला ने बातचीत के दौरान बताया कि शो में गौरव खन्ना की एंट्री के बाद उन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिली, जिसकी उनको बिलकुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा-जब मैं लॉकअप 2 में आई, मुझे लगा कि घर पर सब कुछ ठीक है। लेकिन, जैसे ही गौरव ने आकर बताया कि घर में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं तो मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मुझे जो कुछ पता चला था वो ठीक नहीं था। मैं दुनिया के सामने चाहे जैसे ही रही हूं, लेकिन मेरे परिवार का मुझ पर पूरा भरोसा है। मेरा परिवार जानता है कि मैं क्या कर रही हूं और उन्होंने हमेशा इसे स्वीकार किया है। इसलिए जब मुझे पता चला कि क्या चल रहा है तो मैं लगातार उसी के बारे में सोचने लगी, क्योंकि जब तक सारी सच्चाई पता न हो, दिमाग में सवाल चलते रहते हैं।

आकांक्षा चमोला को लगी चोट

आकांक्षा चमोला का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद उनके फैंस उन्हें लेकर चिंतित हो उठे। वीडियो में आकांक्षा के पैर में क्रेप बैंड पहने देखा जा सकता है। आकांक्षा के पैर में लगी चोट ने सभी का ध्यान खींच लिया और पैपराजी ने भी उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ है? आकांक्षा चमोला ने बताया कि उन्हें ये चोटें घर पर ही लगी हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा- ये चोट मुझे मेरे घर पर स्टंट करते हुए लगी है। इसी दौरान उन्होंने गौरव खन्ना के बारे में भी बात की। जब पैपराजी ने एक्ट्रेस से कहा बेचारा बाबू मिस कर रहा है तो जवाब में उन्होंने कहा- बाबू कहां मिस कर रहा है। बाबू तो सारे इंटरव्यू मेरे खिलाफ दे रहा है।

कंगना संग जुबानी जंग पर भड़कीं तापसी,बोलीं-बात को तूल देना बंद करें

एक्ट्रेस तापसी पन्नू,जो अपनी आने वाली फिल्म 'गांधारी' की रिलीज़ के लिए तैयार हैं, ने अपने और एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत के बीच चल रही बहस पर रिएक्शन दिया है। मंगलवार को, एक्ट्रेस मुंबई में अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में शामिल हुईं, जहाँ उनसे उनके और कंगना के बीच झगड़े के बारे में पूछा गया। इस पर रिएक्शन देते हुए, तापसी ने कहा कि मीडिया इस मुद्दे को ऐसे ही खत्म नहीं होने देता,और यह लगातार उनके रिएक्शन को उठाता रहता है

उन्होंने मीडिया से कहा, ÷आप ये बात खत्म क्यों नहीं होने देते? कोई सवाल पूछना हम दोनों से बंद करेगा जब ये वाला, तो ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। या फिर आप सब लोगों को मज़ा आ रहा है ये सब देख के, इसीलिए वही सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे सवाल पूछना अगर आप बंद कर देते, तो ये बात कब की खत्म हो जाती। या फिर आप सबको ये देखने में मज़ा आ रहा है, इसीलिए वही सवाल पूछते रहते हैं। अगर आपने ऐसे सवाल पूछना बंद कर दिए होते, तो ये मामला बहुत पहले खत्म हो गया होता।

हाल ही में, तापसी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। तापसी ने बताया कि वह कंगना से नहीं मिली हैं, उन्होंने कहा कि कंगना के बारे में उनकी राय उनकी परवरिश और उनके बात करने और चीज़ों को समझने के तरीके को दिखाती है। उन्होंने कहा, तो, मुझे लगता है कि यह सबके लिए देखने और तय करने के लिए काफी है कि कौन कहाँ से आता है।÷ इस बयान पर रिएक्ट करते हुए, कंगना भड़क गईं और बिना किसी का नाम लिए तीखा हमला किया।

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ सेक्शन में लिखा, सस्ती की एक कॉपी अपनी आने वाली क्लग्रेड फिल्म के साथ बाहर है, लेकिन हमेशा की तरह मीडिया में सिर्फ़ कंगना रनौत ही हेडलाइन में हैं, लेकिन आज उन्होंने बेशर्मी से मेरी परवरिश/माता-पिता का मज़ाक उड़ाते हुए सारी हदें पार कर दीं, मुझे लगता है कि सभी माता-पिता अपना बेस्ट करते हैं और मैं कभी भी किसी माता-पिता को किसी बहस में नहीं लाती, लेकिन आज मैं उनके माता-पिता से यह भी पूछना चाहती हूँ कि वे मेरे माता-पिता की तरह किसी ओरिजिनल को जन्म क्यों नहीं दे सके? सस्ती सस्ती कॉपी क्यों? आपकी कोशिशों के लिए दुख है उन्होंने आगे कहा, ÷यह बहुत बुरा और गलत है, लेकिन वह अकेली नहीं हैं; कई लोग जो शहरों के बाहरी इलाकों में गंदे किराए के अपार्टमेंट में, संदिग्ध बैकग्राउंड और इनकम के साथ पले-बढ़े हैं, वे अक्सर मेरी परवरिश पर सवाल उठाते हैं और मेरे माता-पिता और बैकग्राउंड को बदनाम करते हैं, जो एक जाने-माने राजपूत ज़मींदार परिवार से हैं और पढ़े-लिखे, जाने-माने माता-पिता ने उन्हें पाला-पोसा है। मेरे लिए शुरू से शुरू करना एक पर्सनल चॉइस थी; इसके लिए अपने माता-पिता पर हमला क्यों करना?÷ हालांकि, बाद में कंगना ने पोस्ट डिलीट कर दिया। कंगना और तापसी के बीच 2019 में झगड़ा हुआ था। स्थिति तब और खराब हो गई जब कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने सोशल मीडिया पर तापसी को कंगना की सस्ती कॉपी कहा।

विष्णु मांचू ने रीस्टोर कराई पिता मोहन बाबू की पहली कार

जाने-माने एक्टर और प्रोड्यूसर विष्णु मांचू ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने अपने पिता की पहली कार, प्रीमियर पद्मिनी, को फिर से उसकी पुरानी शान में लौटा दिया है और अब यह गाड़ी सड़क पर चलने के लिए तैयार है। रिस्टोर की गई कार का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा,कुछ चीजें सिर्फ मशीनें नहीं होतीं। यह विंटेज प्रीमियर पद्मिनी मेरे पिता की पहली कार थी - एक ऐसी याद जिसे फिर से ज़िंदा किया जाना चाहिए था। बहुत प्यार और बारीकियों पर ध्यान देते हुए इसे रिस्टोर करने के बाद, यह आखिरकार सड़क पर चलने के लिए तैयार है। हमारे परिवार के इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा, जो अपनी पुरानी शान में लौट आया है। हाल ही में, एक्टर ने अपनी पैन-इंडियन फिल्म कन्नप्पा के एक साल पूरे होने का जश्न मनाया था। इस साल जून में, एक्टर ने लिखा था, आज से एक साल पहले, कन्नप्पा आप सभी तक पहुँची थी। कुछ फिल्में मनोरंजन करती हैं। कुछ फिल्में आपको बदल देती हैं। कन्नप्पा ने मेरे लिए ये दोनों काम किए। उन्होंने आगे कहा, यह आस्था, त्याग और विश्वास का सफर था। एक ऐसा सफर जिसने हर तरह से मेरी परीक्षा ली और मुझे ऐसी यादें दीं जो जीवन भर मेरे साथ रहेंगी। जिन लोगों ने इसे थिएटर में देखा, बाद में ओटीटी पर देखा, इसे सराहा, इसकी आलोचना की और इसके बारे में बात करते रहे... उन सभी का शुक्रिया। आपके प्यार ने कन्नप्पा को इसकी रिलीज़ के बाद भी जिंदा रखा है। एक साल बाद भी मेरा दिल खुशी से भरा है। हर हर महादेव।

खेल समाचार

ईशान किशन का मैच जीतने के बाद बड़ा बयान,कहा... लोग नहीं मानते लेकिन मुझे रेड बॉल क्रिकेट बहुत पसंद है...

नई दिल्ली,25 अगस्त 2026। ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन की टीम दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। ईशान किशन ने अपने 65वें फर्स्ट-क्लास मैच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की। ईस्ट ने नॉर्थ ईस्ट को एक पारी और 210 रनों के बड़े अंतर से हराया। इससे पहले उन्होंने अपना 64वां फर्स्ट-क्लास मैच नवंबर 2025 में बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में खेला था। तब से लेकर अभी तक वह घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट को मिलाकर 59 मैच खेल चुके हैं।

व्हाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में ढलना आसान नहीं होता

व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा मैच खेलने वाले ईशान किशन के लिए रेड बॉल क्रिकेट में ढलना थोड़ा मुश्किल रहा। बेंगलुरु में खेले जा

रहे दलीप ट्रॉफी के दौरान उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जल्दी-जल्दी बदलाव करना आसान नहीं होता। जब आप व्हाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में जाते हैं, तो खेल का तरीका और परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाती हैं। लेकिन ईशान का मानना है कि अलग-अलग फॉर्मेट के हिसाब से खुद को ढालना ही इस खेल की असली चुनौती और मजा है।

32 वनडे और 55 टी20 आई मैच खेल चुके हैं ईशान

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने आगे कहा कि आपको यह समझना होगा कि एक खिलाड़ी के रूप में जिंदगी हमारे लिए काफी कठिन हो सकती है। बाहर से देखने में यह बहुत आसान लगता है। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान पर आता है मैच खेलता है और चला जाता है। लेकिन असलियत ऐसी नहीं होती। खिलाड़ी जहां भी जाते हैं, उनके दिमाग में हर वक्त बहुत सी बातें चलते रहते हैं। ईशान किशन ने भारत के लिए अब तक 32 वनडे और 55 टी-20 मैच खेले हैं, इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में भी 134 मुकाबले खेले हैं। जहां तक टेस्ट क्रिकेट की बात है, तो वे भारत के लिए केवल 2 टेस्ट मैच ही खेल पाए हैं।

टेस्ट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं ईशान

जब ईशान किशन से पूछा गया कि क्या वे फिर से टेस्ट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हां 100त्न वो टेस्ट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनका मानना है कि जिसने भी एक बार टेस्ट क्रिकेट खेला है, उसे यह फॉर्मेट बहुत पसंद आएगा। टेस्ट मैच का अपना अलग महत्व है और इससे खिलाड़ियों के खेल में काफी सुधार होता है। ईशान कहते हैं कि लोग भले ही उन पर यकीन न करें, लेकिन उन्हें रेड बॉल क्रिकेट में सच में बहुत मजा आता है। वे आगे कहते हैं कि उनका मुख्य काम सिर्फ रन बनाना और अपनी टीम को जीत दिलाना है।

ईस्ट जोन की टीम पहुंची दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में

नई दिल्ली,25 अगस्त 2026। दलीप ट्रॉफी के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में ईस्ट जोन की टीम को बड़ी जीत मिली है। इस जीत के साथ ही ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम अब सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है।

दलीप ट्रॉफी 2026 का पहला क्वार्टर फाइनल मैच ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला गया। इस मैच में ईस्ट जोन की टीम ने पारी और 210 रन के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही ईस्ट जोन सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। ईस्ट जोन की इस जीत में 31 साल के शाहबाज अहमद की भूमिका अहम रही। उन्होंने बल्लेबाजी में एक बड़ा शतक लगाया। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर 4 विकेट लिए। इस जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला।

वैभव और ईशान नहीं खेल पाए बड़ी पारी

मुकाबले की बात करें तो ईस्ट जोन की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। वहां वैभव सूर्यवंशी और ईशान

किशन जैसे खिलाड़ी जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी वो दोनों इस मैच में फ्लॉप रहे। वैभव 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। वहीं ईशान किशन ने 9 बॉल में सिर्फ 4 रन बनाए। ईस्ट जोन के लिए इस पारी में दो बल्लेबाजों ने शतक लगाया। उनके शतकीय पारी के बदौलत उनकी टीम बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही।

सुदीप कुमार और शाहबाज अहमद ने लगाया शतक

ईस्ट जॉन के लिए सुदीप कुमार घारामी और शाहबाज अहमद ने शानदार शतक लगाया। सुदीप कुमार ने 185 गेंदों में 146 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 25 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं शाहबाज अहमद ने 244 बॉल पर 167 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 17 चौके और 4 छक्का लगाया। उनके अलावा कुमार कुशाग्र ने 55 रन का योगदान दिया। इन पारियों के बदौलत ईस्ट जोन की 467 रन बनाने में कामयाब रही।

वैभव ने दूसरी पारी में झटके 4 विकेट,नॉर्थ ईस्ट के बल्लेबाज ने टेके घुटने

जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम पहली पारी में सिर्फ 111 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसके बाद ईस्ट जोन ने उन्हें फॉलो ऑन दिया। दूसरी पारी में नॉर्थ ईस्ट के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। इस पारी में पूरी टीम सिर्फ 146 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। फेरोइजम जोतिन टीम के लिए दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 39 रन का योगदान दिया। ईस्ट जोन की तरफ से दूसरी पारी में अनुकूल रॉय ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 3 ओवर गेंदबाजी की और वहां दो विकेट अपने नाम किए।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र. /ब-121/2025-2026

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका प्रगति गुप्ता आ0 श्यामलाल गुप्ता, निवासी ग्राम असोला, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नंबर 374/ 23 रकबा 0.022 हे0 ग्राम देवगढ़ में स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख ऑनलाईन खसरा के कैफियत कॉलम में त्रुटिवश शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय अंकित हो गया है। आवेदिका द्वारा राजस्व अभिलेखों में त्रुटिपूर्वक अंकित शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय को सुधार किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जो जांच व प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 16/9/2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 25/8 /2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र. /अ-6/2025-2026

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका लुती लुसिया खेस पति स्व. अलफोंस खेस, जाति उरावं, निवासी ग्राम ठाकुरपुर, थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा ग्राम ठाकुरपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 542 मेसे 0.040 हे0 (पंजीबद्ध सुधार पत्र दिनांक 07.05.2013) को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2003 के माध्यम से 30,00,000/- में आवेदिका द्वारा कय किया गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता जानू आ. बंधू के उत्तराधिकारी हरि पिता शिवलाल वगैरह का नाम विलोपित कराकर अपना नाम दर्ज कराने बावत् आवेदन पत्र छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के तहत् प्रस्तुत किया गया है ।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 16/09/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 18/8/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला - सूरजपुर,छ0ग0

रा0 प्र0क्र0 ब/121 वर्ष
ग्राम- सुन्दरगंज प0ह0न0

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सहेन्द्र आ0 सुखसागर जाति राजवार निवासी ग्राम सुन्दरगंज प0ह0न0 .... रा0नि0म0 तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के दादी स्व0 मनीयारी का जन्म/मृत्यु दिनांक 10/07/2010 को ग्राम सुंदरगंज में हुई है अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत सुन्दरगंज को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 03/09/26 संपत्ति तक अपना आपत्ति इस न्यायायल में पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/08/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर जारी किया गया ।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी लटोरी,जिला-सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी रामानुजनगर,जि.-सूरजपुर

रा0प्र0क्र0 ब/121 /20-26

ईश्तहार

आम जनता ग्रामवासी मकरबंधा सूचित किया जाता है कि श्री फुलेश्वर सिंह आत्मज श्री देव सिंह जाति गोंड़ निवासी ग्राम मकरबंधा थाना रामानुजनगर तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दादी भुखली पति सिंधू का मृत्यु दिनांक 15 /05/ 1997 होने से अपने भूखली पति सिंधू का जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है,जिस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

जिस किसी आम जनता/ग्रामवासियो को कोई आपत्ति/आक्षेप हो तो वह अपना आपति दिनांक21/08/2026 को इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, नियत तिथि के पश्चात् कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी ।

आज दिनांक 07/07/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मद मुद्रा से जारी किया गया है।

सील — तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी रामानुजनगर,जिला-सूरजपुर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं सावित्री आ. सुमार दास, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी-ग्राम बकरमा थाना व तहसील प्रेमनगर जिला- सूरजपुर (छ.ग.) ।

यह कि मेरा आधार कार्ड नम्बर 2008 1010 4399 बना है, जिसमें मेरा पुकारू नाम छोटी (CHHOTI) एवं त्रुटिवश जन्म तिथि 01/01/2007 अंकित हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम सावित्री (SAVITRI) एवं वास्तविक जन्म तिथि 12/04/2006 है, जो मेरे कक्षा 10 वी के अंकसूची एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है। छोटी एवं सावित्री मेरा ही नाम है तथा उक्त दोनों नामो से जानी पहचानी जाती हूँ। मेरे उपरोक्त आधार कार्ड में सुधार करते हुए मेरे कक्षा 10वी में अंकित वास्तविक नाम सावित्री (SAVITRI) एवं वास्तविक जन्म तिथि 12/04/2006 को दर्ज किये जाने हेतु स्वंय का शपथ पत्र निष्पादित कर रही हूँ।

सपथकर्ता
सावित्री

नाम परिवर्तन सूचना

मैं मनु सिंह, आ. स्व. तेजुराम, उम्र लगभग 43 वर्ष, जाति गोड़, निवासी ग्राम- दुर्गापुर, थाना-रामानुजनगर, तहसील- प्रेमनगर, जिला- सूरजपुर । यह कि मेरे पुत्र का सही एवं वास्तविक नाम वीरनारायण सिंह (VIRNARAYAN SINGH) उम्र लगभग 13 वर्ष (जन्मतिथि 01/01/2013) है। मेरे पुत्र के संपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों मेरे पुत्र का नाम वीरनारायण सिंह (VIRNARAYAN SINGH) अंकित है जो कि सत्य एवं सही है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड 7130 1920 3056 में मेरे पुत्र का नाम वीरनारायण (VIRNARAYAN) अंकित हो गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में अंकित मेरे पुत्र के गलत नाम को सुधारकर उसके स्थान पर मेरे पुत्र का सही एवं वास्तविक नाम वीनारायण सिंह (VIRNARAYAN SINGH) अंकित किये जाने हेतु शासकीय गजट में प्रकाशित करवाने हेतु मेरा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है ।

सपथकर्ता
मनु सिंह

नाम परिवर्तन सूचना

मैं बल्ली राम, आ. स्व. ननकू राम, उम्र लगभग 39 वर्ष, जाति गोड़, निवासी ग्राम- दुर्गापुर, थाना-रामानुजनगर, तहसील- प्रेमनगर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)। यह कि मेरे पुत्र का सही एवं वास्तविक नाम अमेश सिंह (AMESH SINGH) उम्र लगभग 12 वर्ष (जन्मतिथि 13/08/2014) है। मेरे पुत्र का आधार नंबर 6760 4432 4386 है। मेरे पुत्र के संपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों मेरे पुत्र का नाम अमेश सिंह (AMESH SINGH) एवं पिता का नाम बल्ली राम (BALLI RAM) अंकित है जो कि सत्य एवं सही है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड 6760 4432 4386 में मेरे पुत्र का नाम उमेश (UMESH) एवं पिता का नाम भली (BHALI) अंकित हो गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में अंकित मेरे पुत्र के गलत नाम को सुधारकर उसके स्थान पर मेरे पुत्र का सही एवं वास्तविक नाम अमेश सिंह (AMESH SINGH) एवं पिता का नाम बल्ली राम (BALLI RAM) अंकित किये जाने हेतु

सपथकर्ता
बल्ली राम

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सलीम कुजूर आ0.स्वः सुखराम भगत निवासी लब्जी थाना गांधीनगर तहसील ने कराया है कि आवेदक के सलीम कुजूर (पति) आ.स्व. सुखराम भगत की दिनांक 02/02/2008 को स्थान लब्जी में हुई है

आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है । अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है ।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 25/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा

क्या डिग्री सत्यापन में सिर्फ विश्वविद्यालय की मान्यता देखी गई या डिग्री प्राप्ति वर्ष की वैधता भी जांची गई?

सूत्रों के हवाले से सामने आई नोटशीट पर उठे गंभीर प्रश्न

- सर्वेश यादव और सिद्धार्थ पाण्डेय की शैक्षणिक योग्यताओं के सत्यापन को लेकर नई बहस,अब पूरे रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच की उठी मांग...
- खाद्य विभाग की भर्ती में नया खुलासा! डिग्री सत्यापन की नोटशीट ने बढ़ाई मुश्किलें
- डिग्री की नहीं, सिर्फ विश्वविद्यालय की मान्यता पूछी गई? नोटशीट से उठे बड़े सवाल
- सत्यापन या सिर्फ औपचारिकता? नोटशीट में दर्ज टिप्पणियों ने बढ़ाया भर्ती विवाद
- खाद्य विभाग में डिग्री सत्यापन पर सवाल, क्या 'डिग्री वर्ष' की जांच करना ही भूल गया विभाग?
- सूत्रों से मिली नोटशीट ने खोली सत्यापन प्रक्रिया की परतें,अब निष्पक्ष जांच की मांग तेज

नोटशीट का नया खुलासाः विश्वविद्यालय की मान्यता देखी, डिग्री वर्ष की वैधता पर क्यों नहीं हुआ सवाल?

खाद्य विभाग की भर्ती में नया 'ट्विस्ट'! नोटशीट के एक पन्ने ने खड़े किए कई गंभीर सवाल

सूत्रों के हवाले से सामने आए दस्तावेज में डिग्री सत्यापन प्रक्रिया पर उठे सवाल

विशेषज्ञ बोले–विश्वविद्यालय की मान्यता और डिग्री की वर्षवार वैधता दो अलग-अलग विषय हैं पूरे मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी

न्यूज डेस्क

रायपुर 25 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में वर्ष 2015-16 की भर्ती प्रक्रिया,वरिष्ठता विवाद और पदोन्नति को लेकर पहले से चल रहे विवाद के बीच अब एक और दस्तावेज सामने आया है,जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है, दैनिक घटती-घटना को सूत्रों के माध्यम से विभागीय नोटशीट का एक अंश प्राप्त हुआ है, जिसमें दो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यताओं के सत्यापन का उल्लेख किया गया है,प्रथम दृष्टया इस नोटशीट की भाषा और उसमें दर्ज टिप्पणियां सत्यापन प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं,हालाकि, दैनिक घटती-घटना इस दस्तावेज की स्वतंत्र पुष्टि का प्रयास कर रहा है,यदि यह नोटशीट विभागीय रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो इसमें दर्ज तथ्यों की निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है।

दस्तावेज क्या कहता है?

सूत्रों से प्राप्त नोटशीट के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 71 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2015 में दस्तावेज सत्यापन किया गया था, दस्तावेज में उल्लेख है कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान सर्वेश कुमार यादव एवं सिद्धार्थ पाण्डेय की शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं से जानकारी मांगी गई थी,बाद में प्राप्त जवाबों तथा लष्ट एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर दोनों की डिग्रियों को मान्यता प्राप्त होना बताया गया, यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है।

सबसे बड़ा सवाल- आखिर पूछा क्या गया था?

नोटशीट में जिन बिंदुओं का उल्लेख है,उससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि संबंधित विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से यह जानकारी प्राप्त की गई कि उन्हें मान्यता प्राप्त थी या नहीं,लेकिन दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं दिखता कि संबंधित अधिकारियों ने यह भी पूछा था या नहीं कि संबंधित अभ्यर्थी ने जिस वर्ष डिग्री प्राप्त की, उस वर्ष उस विशेष पाठ्यक्रम को वैध मान्यता प्राप्त थी या नहीं? क्या उस समय विश्वविद्यालय को उस पाठ्यक्रम को दूरस्थ शिक्षा से संचालित करने की अनुमति थी? क्या संबंधित डिग्री उस भर्ती के लिए लागू नियमों एवं स्वास्थ्य के निर्धारित मानकों के अनुरूप थी? यही वे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है।

विश्वविद्यालय की मान्यता और डिग्री की मान्यता एक ही बात नहीं...

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त होना और किसी विशेष डिग्री अथवा पाठ्यक्रम का किसी विशेष वर्ष में वैध होना दो अलग-अलग विषय हैं, यदि किसी विश्वविद्यालय को किसी अवधि में मान्यता प्राप्त रही हो, तो भी यह आवश्यक नहीं कि उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम या प्रत्येक सत्र को स्वतः वैध माना जाए, कई मामलों में प्रोग्राम-वार और वर्ष-वार मान्यता की स्थिति अलग हो सकती है,इसी कारण किसी भी भर्ती में केवल विश्वविद्यालय की सामान्य मान्यता देखना पर्याप्त नहीं माना जाता,बल्कि संबंधित अभ्यर्थी की डिग्री,उसका विषय,प्राप्ति वर्ष तथा उस समय लागू मान्यता की भी जांच की जाती है।

पहले भी न्यायालय तक पहुंच चुका है मामला

उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की भर्ती और वरिष्ठता विवाद पहले ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, वर्ष 2026 में उच्च न्यायालय ने 2015 और 2016 की अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं से नियुक्त अधिकारियों को एक ही वरिष्ठता सूची में सम्मिलित करने पर आपत्ति दर्ज करते हुए संबंधित आदेश निरस्त कर पुनर्विचार के निर्देश दिए थे, इसी न्यायालयीन पृष्ठभूमि के बीच अब यह नया दस्तावेज सामने आने से पूरे मामले पर और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

लीगल नोटिस के बाद और बढ़ा महत्व

दैनिक घटती-घटना द्वारा प्रकाशित खोजी समाचारों के बाद संबंधित दो अधिकारियों की ओर से समाचार पत्र को ?50 लाख की क्षतिपूर्ति मांगते हुए कानूनी नोटिस भी भेजा गया है, समाचार पत्र का कहना है कि उसकी रिपोर्टिंग उपलब्ध दस्तावेजों,भर्ती नियमों और सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर आधारित है तथा यदि संबंधित पक्ष अपना पक्ष देना चाहे तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा, अब जब यह नोटशीट भी चर्चा में है, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पहले से कहीं अधिक आवश्यक प्रतीत होती है।

अब उठ रहे हैं ये बड़े सवाल

- क्या डिग्री सत्यापन में केवल विश्वविद्यालय की सामान्य मान्यता देखी गई?
- क्या संबंधित डिग्री के प्राप्ति वर्ष की वैधता की अलग से पुष्टि की गई थी?
- क्या संबंधित पाठ्यक्रम को उस समय Distance Mode में संचालित करने की अनुमति थी?
- क्या FSSAI और भर्ती नियमों के अनुरूप शैक्षणिक पात्रता का स्वतंत्र परीक्षण हुआ?
- यदि हुआ, तो उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?

जांच से ही स्पष्ट होगी सच्चाई-दैनिक घटती-घटना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का दावा नहीं कर रहा, बल्कि उपलब्ध दस्तावेजों और सामने आ रहे तथ्यों के आधार पर जनहित से जुड़े प्रश्न उठा रहा है,यदि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप रही है, तो निष्पक्ष जांच संबंधित अधिकारियों और विभाग दोनों के लिए सबसे बड़ा प्रमाण होगी,वहीं यदि जांच में कोई प्रक्रिया संबंधी त्रुटि सामने आती है,तो उसका निराकरण भी आवश्यक होगा,अब पूरा मामला केवल दो अधिकारियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सरकारी भर्ती प्रक्रिया,दस्तावेज सत्यापन की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही का विषय बन चुका है,ऐसे में शासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के लिए सबसे उचित कदम यही होगा कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और दस्तावेज आधारित जांच कराकर सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए।

क्या सत्यापन प्रक्रिया अधूरी रही?

सूत्रों के हवाले से प्राप्त नोटशीट के आधार पर अब यह प्रश्न उठ रहा है कि कहीं सत्यापन प्रक्रिया केवल सामान्य जानकारी तक सीमित तो नहीं रही? यदि संबंधित अधिकारियों ने केवल इतना पूछा कि विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त था या नहीं, लेकिन यह नहीं पूछा कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त डिग्री उस वर्ष वैध थी या नहीं, तो क्या ऐसी जांच पूर्ण और पर्याप्त मानी जा सकती है? यह प्रश्न अब पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है।

नाली में फंसी स्कॉर्पियो तो खुला गांजा तस्करी का राज,5 क्विंटल गांजा बरामद

रायपुर,25 अगस्त 2026। राजधानी रायपुर में गांजा तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो नाली में फंसने के बाद स्थानीय लोगों को वाहन पर शक हुआ। तलाशी लेने पर वाहन के अंदर भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो और गांजा जब्त कर लिया है। भौगोलिक संदर्भ जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह महासमुंद पासिंग सफेद स्कॉर्पियो मोहल्ले की एक नाली में फंस गई। वाहन फंसने के बाद चालक मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों को उसकी

गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उन्होंने वाहन की जांच की। तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो के अंदर करीब 5 क्विंटल गांजा मिला। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलने की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वाहन समेत गांजे को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल फरार चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे रायपुर में कहां पहुंचाया जाना था। साथ ही तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पॉलिथीन पर अब हाईकोर्ट की नजर ! बिलासपुर में 386 किलो जब्त

रायपुर,25 अगस्त 2026। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के इस्तेमाल पर अब हाईकोर्ट निगरानी रखेगा। मुख्य सचिव ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया कि मई और जून 2026 में पूरे प्रदेश में स्वच्छता, जागरूकता और प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाया गया। इस दौरान बिलासपुर में 386 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया,जबकि रायपुर में 7.26 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। हाईकोर्ट ने कार्रवाई को संतोषजनक बताया,लेकिन मामले की मॉनिटरिंग जारी रखने की बात कही।

प्लास्टिक बैन को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका

मामला रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है।

याचिका में राज्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलिथीन के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजेबल कप, प्लेट, गिलास, चम्मच और स्ट्रॉ सहित कई सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा थर्माकोल से बनी सजावटी सामग्री, 200 मिलीलीटर से कम क्षमता वाली पीईटी बोतलों और विज्ञापन में इस्तेमाल होने वाले फ्लेक्स-बैनर पर भी प्रतिबंध लागू है।

कुछ जरूरी उत्पादों को मिली छूट : प्लास्टिक प्रतिबंध के दायरे में सभी तरह के प्लास्टिक उत्पाद नहीं आते। नियमों के तहत कुछ आवश्यक वस्तुओं को छूट दी गई है। दवाइयों की पैकेजिंग और 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले दूध के पैकेट जैसी जरूरी वस्तुओं को निर्धारित नियमों के तहत प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।

मई-जून में चला व्यापक अभियान : मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में पेश शपथ पत्र में बताया कि मई और जून 2026 के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाए गए। इसके साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक की जब्ती के लिए भी अभियान चलाया गया। बिलासपुर में कार्रवाई के दौरान 386 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। वहीं रायपुर में नियमों का उल्लंघन करने वालों से 7.26 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को संतोषजनक माना है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल पर निगरानी खत्म नहीं होगी। मामले में हाईकोर्ट आगे भी सरकार की कार्रवाई और प्लास्टिक बैन के पालन की स्थिति पर नजर रखेगा।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)